

①

अर्थव्यवस्था का सामान्य अध्ययन

P D C E

अर्थशास्त्र

रुडम सिथ

1776

wealth of nation

Economics

सामाजिक विज्ञान

पूंजीवादी (of)

ग्रीक

okio Nomous

अर्थ

अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के okio Nomous से हुई है जिसका अंग्रेजी में सर का नियम। व्यावहारिक रूप से अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत मनुष्य अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरन्तर अध्ययन करता है।

इस अध्ययन में मनुष्य के द्वारा निम्न दो प्रकार की क्रियाएँ निष्पादित की जाती हैं।

1) आर्थिक क्रिया (धन कमाने के लिए की गयी क्रियाएँ)

2) सामाजिक क्रिया (सामाजिक उद्देश्य)

Note: अर्थशास्त्र का जनक - रुडम सिथ, wealth of Nation 1776

अर्थव्यवस्था: अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें उत्पादन वितरण एवं उपभोग के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाये, अर्थव्यवस्था कहलाती है।

Note अर्थव्यवस्था अपने आप में एक संपूर्ण शब्द नहीं है जब तक कि इसके पहले किसी क्षेत्र अथवा समूह का नाम न जोड़ा जाये। जैसे- यूरोप की अर्थव्यवस्था, राज की अर्थव्यवस्था, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था

प्रकार :- 1) पूंजीवादी अर्थव्यवस्था :- जनक - रुडम सिथ (America)

अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें उत्पादन पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है। ताकि max लाभ प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में नियम एवं विनियम बाजार के द्वारा बनाए जाते हैं।

2

2) समाजवादी अर्थव्यवस्था :- वह अर्थव्यवस्था जो उत्पादन पर नहीं बल्कि वितरण पर जोर देती है तथा सामाजिक कल्याण के लिए जिसमें नियम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। (जनक → कार्ल मार्क्स फिस्स)

3) मिश्रित अर्थव्यवस्था :- जनक - प्रो. जान मेनार्ड कीन्स (Engelbard) Theory of Employment
आधुनिक अधिशासक जनक (most direct more)

वह अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी व पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाये जाते हैं। उदा. - Indian economy

अन्य प्रकार: 1) बन्द अर्थव्यवस्था :- वह अर्थव्यवस्था जिसमें घरेलू नीतियों पर अधिक जोर दिया जाता है तथा आयात-

नियमन नीति पर कठोर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।

उदा. - वर्ष 1947-51 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था

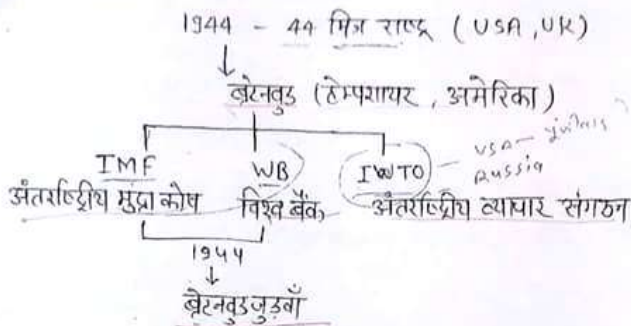
2) खुली अर्थव्यवस्था :- वह अर्थव्यवस्था जो बन्द नहीं है।

उदा. - 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था :- भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे उपयुक्त उदाहरण है जिसमें उत्पादन धर्मता के अनुसार तथा वितरण आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 व 46 में संसाधनों के सबसे दूतों के में उपयोग की बात कही गई है तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना श्री नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक व्याप का उल्लेख करती है और कह सकते हैं कि संविधान निर्माण के समय से ही इ.ए. मिश्रित अर्थव्यवस्था रही। 1947-50 तक समाजवादी तथा 1991 से वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था रही है।

Note: 1990 तक भारत के सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में सर्वाधिक हिस्सा कृषि का था परन्तु आर्थिक सुधारों के बाद कृषि का हिस्सा सबसे कम हो चुका है। सेवाओं का हिस्सा सर्वाधिक है।

विश्व के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ :-



द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् तत्कालीन मित्र राष्ट्र अमेरिका के ब्रेटनवुड नामक शहर में एकत्र हुए तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् वैश्विक, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए निम्न 3 संगठनों की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया गया

- 1) आर्थिक सुधार के माध्यम से दुनिया का विकास = IMF
- 2) दीर्घकालीन पुर्ननिर्माण से विश्व का विकास = WB
- 3) अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार के माध्यम से दुनिया का विकास = ITO

Note: USSR एवं USA के मध्य विवाद के कारण ITO की स्थापना नहीं हो सकी

Note चूंकि ब्रेटनवुड कॉन्फ्रेंस में IMF व WB सर्वसम्मति से स्थापित किये गए अतः दोनों संस्थाओं को ब्रेटनवुड जुड़वाँ कहते हैं।

- 1) IMF → स्थापना - 27 दिसम्बर 1945, ब्रेटनवुड कॉन्फ्रेंस
वांशिका → कुल सदस्य देश - 189 (12 April 2016 को ~~जर्मनी~~ ^{नीज़रलैंड} को 189वाँ सदस्य देश बनाया गया)
 → अध्यक्ष - क्रिस्टीन लेगार्ड (जर्मनी) फ्रांस
प्रथम निदेशक/अध्यक्ष - केमिल गढ़ (जर्मनी) फ्रांस
IMF का अध्यक्ष सदैव जर्मनी का नागरिक होता है।
फ्रांस

→ ब्रेटनवुड कॉन्फ्रेंस में 1945 में ब्रिटेन के प्रतिनिधि - चार्चिल (PM), ओ.कि (अर्थशास्त्री), बिंसेनवास (CD) देशमुख

→ IMF की संरचना - त्रिस्तरीय संरचना है। जिसमें अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद एवं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स शामिल हैं।

→ IMF की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक सदस्य देश को निश्चित अंशदान करना पड़ता है तथा इसी अंशदान के आधार पर उस देश की वोटिंग शक्ति प्राप्त होती है (विकसित देशों का प्रभुत्व अधिक)

→ अंशदान के हिसाब से IMF के प्रमुख 10 देश

USA
जापान
फ्रांस
जर्मनी
इटली
ब्रिटेन (UK)
चीन
रूस
ब्राजील
भारत - 9 वें

2016 में किये गए सुधारों के कारण ब्राजील एवं UAE प्रमुख 10 देशों की सूची से बाहर हो चुके हैं।

→ IMF में भारत, श्रीलंका, भूटान एवं बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करता है।

ब्राजील, UAE, CANADA

→ वर्तमान में IMF के भारतीय प्रतिनिधि - रघुशम राजन (RBI गवर्नर) - सुबीर गोकर्न (वित्त मंत्री) सचिव

IMF के कार्य :- 1) ऋण देना :- IMF अपने सदस्य देशों की भुगतान संतुलन को संतुलित करने के लिए अल्पकालीन सहाय्य प्रदान करता है।

ऋण प्राप्त करने के लिए IMF की निम्नलिखित शर्तें होती हैं -

→ ऋण प्राप्त करने से पूर्व की शर्त :- सदस्य देश को सुदृढ़ लोकतंत्र, सुशासन एवं मानव अधिकार को अपनाना पड़ता है।

→ ऋण प्राप्त करने की बाद की शर्त :- सदस्य देशों में आर्थिक स्थिरता एवं LPG का होना आवश्यक है।

उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण

⑤
Note IMF सदस्य देशों को 'रिवायती' तरीके पर ऋण प्रदान करता है (अचिप्रांत अल्पविकसित देशों को)

2) विश्व की अर्थव्यवस्था का नियमन करना - इस हेतु IMF निम्नलिखित 3 रिपोर्ट प्रकाशित करता है -

(A) वैश्विक आर्थिक परिदृश्य 24

(B) क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य

(C) वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

Note हाल ही में प्रकाशित वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न 3 समस्याओं का उल्लेख किया है

1) Economic Overheating :- वह अवस्था जब देश में उत्पादन बढ़ता है पर साथ ही मांग भी बढ़ती है।

कारण - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में कमी का होगा,

2) Dutch Disease (हॉलैंड की बीमारी) :- वह अवस्था जब निर्यात बढ़ा हो परन्तु निर्यात में गिरावट हो।

कारण :- निर्यात की नीति में कमी (भारत में मैकडॉनल्ड्स इण्डिया) आधारभूत संरचना का अभाव (राज. में रिसर्च राज.) भ्रष्टाचार

3) Asset Bubble :- वह अवस्था जिसमें सेवाओं का मूल्य बढ़ा हो परन्तु सुविधाएँ नहीं बढ़ी हो।

कारण :- काला धन एवं कठोर ब्याज नीति

क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में हाल ही में IMF ने भारत को विश्व का आशा का बिन्दु बताया है

वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भारत में विनिर्माण व बैंकिंग क्षेत्र संकट में बताये गये हैं।

(6)

2) WB (WORLD BANK) स्थापना : 1945, 27 Dec.

सदस्य देश : 189

अध्यक्ष : किम योंग-गिम (अमेरिकी मूल के नागरिक)

प्रथम : यूजीसी मैथर (अमेरिका)

Note विश्व बैंक का अध्यक्ष सँफेव अमेरिकी मूल का व्यक्ति होता है।

Note आर्थिक मामलों में दुनिया की सर्वोच्च संस्था, अधिकतर देश विश्व बैंक के अनुसार ही अपना क़दम बनाते हैं।

संरचना : IMF के समान (अंशदान की दृष्टि से)

संयुक्त संघटक : (1) IBRD (International Bank for Reconstruction & Development)
(अन्तराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक)

→ स्थापना 1945

→ यह संस्था अपने सदस्य देशों को भौतिक संसाधनों के

विकास के लिये दीर्घकालीन सस्ता ऋण प्रदान करती है।

जैसे : सड़क के विकास के लिए, रेलवे के विकास के लिए, ठावर्ड अशु स्तं
पुल निर्माण के लिये, नदी की सफाई (गंगा की सफाई),
रेगिस्तान विकास कार्यक्रम

Note भारत की इस संस्था में हिस्सेदारी 7 वें नम्बर पर है।

(2) अन्तराष्ट्रीय विकास एजेंसी (International Development Agency)

→ विश्व बैंक की उदार खिड़की, स्थापना - 1960

→ क्योंकि विश्व बैंक का कोई भी ऋण इससे सस्ता नहीं होगा

→ यह संस्था सदस्य देश की मानवीय संसाधनों के विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। जैसे कुशलता विकास, तकनीकी विकास, जनआर्थिक विकास कार्यक्रम इत्यादि।

3) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International financial corporation)

→ स्थापना - 1956

→ यह संस्था सदस्य देशों की उन निजी संस्थाओं को वाणिज्यिक ऋण प्रदान करती है जो विकास के कार्यक्रम में लगी हुई हैं।

Note IFC के द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'India infrastructure & बेंगलुरु मैट्रो परियोजना, हैदराबाद में Development programme' ग्रीन फील्ड airport, राज. में सड़कों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सहायता

4) MITAN - Multilateral investment guarantee Agency
बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था

स्थापना - 1988 में, भारत सदस्य 1993 में बना।

→ विश्व बैंक की यह संस्था प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं करती अपितु यदि कोई विकसित देश, विकासशील अथवा अल्पविकसित देशों में निवेश करता है तो ऐसे निवेश के संबंध में गारंटी प्रदान करने की भूमिका निभता है।

Note विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत में 1993 में स्थापित विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड (FIPB) MITAN के प्रयासों की ही देन है।

5) IIDSC (International investment dispute settlement centre)

अन्तर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र

स्थापना - 1986 में

भारत सदस्य नहीं है।

Note विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 83 देशों के साथ द्विपक्षीय BITs निवेश प्रवर्तन समझौता बनाया है। इसके अंतर्गत विदेशी निवेश को सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी तब भारत सरकार ने दी है।

नेपाल व UAE से वार्ता जारी है।

⑧ *

3) WTO (World Trade Organisation) विश्व व्यापार संगठन (WTO)
 द्वैतवादी सम्मेलन में वैश्विक मुक्त व्यापार के लिए WTO नामक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पेश हुआ परन्तु अमेरिका और 'लोबिफर ग्रुप' के विवाद के चलते इसे स्थापित नहीं किया जा सका, तत्पश्चात् 1948 में वस्तुओं के मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (कोई प्रतिबंध नहीं) के लिए GATT (General Agreement on Trade & Tariffs) (वस्तु-व्यापार का सामान्य समझौता) नामक संस्था की स्थापना की गयी, परन्तु इस संस्था में भी निम्न कमियाँ थी -

- 1) इसके द्वारा दिये गए निर्णय बाध्यकारी नहीं थे
- 2) विकासशील देशों की भूमिका ना के बराबर थी
- 3) यह केवल वस्तुओं से संबंधित व्यापार के नियम बनाता था जबकि 1980 के दशक में सेवाओं की व्यापार भी होने लग गया था।

अधुना सम्मेलनों की सुलझाने के लिए 1 जनवरी 1995 को WTO नामक संस्था की स्थापना की गयी। वर्तमान विश्व में वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त व्यापार से संबंधित नियम WTO के द्वारा ही बनाए जाते हैं।

→ स्थापना - 1 जनवरी 1995

सदस्य - 164 (164 वाँ अफगानिस्तान, 163 वाँ लाइबेरिया (अफ्रीकी देश)

→ संरचना :- इसकी संरचना भी द्विस्तरीय है जिसमें निम्न स्तर शामिल है -

- 1) मंत्रीस्तरीय सम्मेलन - 164 सदस्य देश
 - प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार सम्मेलन द्वारा मिलते हैं तथा निर्णय (बहुमत) लिखे जाते हैं।

2) सामान्य परिषद - WTO के दैनिक कार्य निष्पादित / संचालित करती है।

3) Director General - 164 सदस्य देशों द्वारा मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में चुने जाते हैं। 4 वर्ष कार्यकाल, पुनर्निर्वाचित हो सकती है।
 वर्तमान - राबर्टो अज़ुविबो (ब्राजील)
 प्रथम - पीटर सार्लेंड (1993-95) (नीदरलैंड)

WTO के मंत्रीस्तरीय सम्मेलन -

	वर्ष	स्थान
1	✓ 1996	सिंगापुर
2	✓ 1998	जेनेवा
3	✓ 1999	सिडल - USA
4	✓ 2001	दोहा (चीन को सदस्य बनाया गया)
5	✓ 2003	कानकून (मैक्सिको)
6	✓ 2005	हांगकॉंग
7	✓ 2009	जेनेवा
8	✓ 2011	जेनेवा (रूस को सदस्य बनाया गया)
9	✓ 2013 (Imp)	वालि (इण्डोनेशिया)
10	✓ 2015	नैरोबी

Note: WTO वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार के लिये निम्नलिखित 5 समझौतों के माध्यम से नियम बनाता है तथा समस्त सदस्य देशों को इन समझौतों के नियम मानना अनिवार्य है। ये समझौते निम्न प्रकार हैं -

- 1) GATT (वस्तुओं के व्यापार से संबंधित नियम)
- 2) GATS (General agreement of Trade in services)
(सेवाओं के व्यापार से संबंधित नियम)
- 3) TRIPS - Trade related to intellectual property
(बौद्धिक-सम्पत्ति)
- 4) TRIMS - Trade related to investment & measure
(निवेश के संबंध में नियम)
- 5) MOA : Agreement on Agriculture (कृषि आधारित समझौता)
(बाली विवाद)

(10)
WTO के उद्देश्य :-> 1) वैश्विक मुक्त व्यापार के लिए WTO निम्न उद्देश्यों या समझौतों के माध्यम से नियंत्रण करता है जो सभी सदस्य देशों पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं -

(1) आगत :- वस्तु व्यापार का सामान्य समझौता
WTO के इस समझौते के अनुसार वस्तुओं के व्यापार पर निम्न प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है -

(1) मात्रात्मक नियंत्रण :- वस्तुओं के संदर्भ में कोटा (आरक्षण) व्यवस्था को लागू करना
* WTO ऐसे नियंत्रण के विरोध में है।

(2) गुणात्मक नियंत्रण :- गुणात्मकता के आधार पर वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण लगा देना जैसी - आयात शुल्क को बढ़ा देना, आइसोमेंस व्यवस्था को लागू करना, अन्य किसी प्रकार से व्यापार को प्रतिबंधित करना।

* WTO ऐसे नियंत्रण के विरोध में है।

* WTO के अनुसार घरेलू देश स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं मानवाधिकारों के आधार पर विदेशी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

वर्तमान में इस आधार पर वर्तमान में लगाये गये Temp. प्रतिबंधों के उदाहरण -
आवासमती चावल पर U.S. में रोक (अत्यधिक घूरिया के कारण)

अत्यधिक मर्करी के कारण भारतीय चचनप्राश पर अमेरिका में रोक

भारत के द्वारा मर्करी के आधार पर Maggi पर प्रतिबंध

जर्मनी की कारों पर अमेरिका में प्रतिबंध

भारतीय कपड़ों पर अमेरिका में प्रतिबंध

भारतीय अमेरिका, U.S. में भारतीय खेल के सामान के विक्रय पर रोक (बाल-शूट का उपयोग)

①

(2) GATS :- ^{व्यापार} सामान्य सेवा के संबंध में समझौता

WTO के अनुसार सेवाओं को निम्न 4 वर्गों में बाँटा गया है -

(1) MODE-I :- बिना विदेश में जाए घरेलू लोगों अथवा संस्था के द्वारा विदेशियों को सेवा प्रदान करना।

उदा. - BPO (Business process outsourcing)

KPO (Knowledge - " -)

LPO (Legal - " -)

(2) - श्रम को आकर्षित करने का प्रयास करना है

(2) MODE-II :- पर्यटन सेवा

(3) MODE-III :- विदेश में स्थापित कल्ले विदेशियों को सेवा प्रदान करना

(4) MODE-IV :- व्यक्तिगत रूप से विदेश में जाकर सेवा प्रदान करना।

Ex. doctor, engineer, singer, actor, पेशेवर

NOTE भारत के लिये MODE-I व MODE-IV महत्वपूर्ण सेवा

NOTE WTO के अनुसार कोई भी घरेलू देश विदेशी सेवाओं पर प्रत्यक्ष अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं लगा सकता।

जैसे- सेवा कर में वृद्धि करके एवं visa के संबंध में कठोर नीति बनाना

NOTE घरेलू देश कुशलता के आधार पर visa के नियमों को कठोर कर सकता है।

(12)

(3) TRIPS :- (बौद्धिक संपदा के व्यापार के नियम)

बौद्धिक संपदा :- वह संपत्ति जो कृत्रिम से प्राप्त किया जाये। ये संपत्तियाँ अदृश्य हैं
अमूर्त होती हैं।

WTO के अनुसार बौद्धिक संपदाएं निम्न प्रकार की होती हैं।

(1) Copyright :- साहित्य एवं प्रकाशन के संबंध में मूल लेखक या कला निर्माता को प्राप्त अधिकारों का पंजीकरण, copyright कहलाता है।

* यह अधिकार 20 वर्षों के लिये मिलता है। पुनर्पंजीकरण किया जा सकता है।

(2) Patent :- आविष्कार के संबंध में प्राप्त अधिकार (20 वर्षों के लिए)

(3) Trademark :- किसी उत्पाद को विशिष्ट बनाने के लिए कोई नाम, लोगो या अन्य प्रतीक। (15 वर्ष)

(4) Geographical indication :- किसी उत्पाद से पहले भौगोलिक क्षेत्र के नाम का जुड़ना। (15 वर्ष)

Note: india के 218 ^{बलि} ~~अ~~उत्पाद WTO में पंजीकृत हैं

→ राजस्थान के GI :- बिकानेरी भुजिया, कोटा-डोरिया चाड़ी, ब्लू पॉटरी, सांगानेरी
प्रिन्ट, बगरू का टेण्ड-ब्लॉक प्रिन्ट, कटपुतली नृत्य,

मकराना माबल, प्रतापगढ़ की शेवा कला,

Note प्रतापगढ़ के राज-सौरी परिवार की देन (भारत का एकमात्र परिवार जिसे सर्वाधिक

(8) राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला परिवार)

2015 में महेश राज सांनी पद्म श्री

Note WTO के अनुसार बौद्धिक-संपदाओं में नवाचार होना आवश्यक है।

(4) TRIMs :-

औद्योगिक डिजाइन :- औद्योगिक कंपनियों के द्वारा औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन का पंजीकरण, औद्योगिक डिजाइन कहलाता है। (10 वर्ष)

व्यापारिक रहस्य :- रसायन एवं दवा के क्षेत्र की कंपनियों को रासायनिक पदार्थ के संबंध में प्राप्त पंजीकरण। (10 वर्ष)

(4) TRIMs :- WTO का यह समझौता विदेशी निवेश में सम्बन्धित नियमों का उल्लेख करता है। इस समझौते का उद्देश्य है कि धारक देश विदेशी निवेश सम्बन्धी नीतियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे तथा कच्चे माल को खरीदने की बाधता विदेशी उत्पादकों पर ना लगाई जाए (मेक इन इण्डिया में विवाद)

(5) AOA (भारतीय संबंध में सबसे महत्वपूर्ण समझौता)

WTO का यह समझौता कृषि उत्पादकों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता को लेकर नियम बनाता है।

WTO के अनुसार कृषि पर प्रदान की जाने वाली सहायता (सब्सिडी) निम्न चार वर्गों में विभाजित की गयी है।

1) Red Box सब्सिडी :- यह सब्सिडी उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है अतः ऐसी सब्सिडी समाप्त की जाए।
जैसे- मुफ्त जमीन कृषि के लिए देना।

2) Green Box सब्सिडी :- (नार्वे, स्लोवेनिया) यह कृषि अनुसंधान पर दी जाती है। ऐसी सब्सिडी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं डालती अतः WTO द्वारा कोई आपत्ति नहीं।

3) Blue Box सब्सिडी :- यह सब्सिडी भी उत्पादन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालती है। WTO का नियम कहता है कि इसे कम सिफाई पर रखें।
ए.क. उदा माफी योजना, अकालग्रस्त किसानों को मुहाना

19

(1) Timber box Subsidy :- यह सब्सिडी उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है अतः WTO का नियम है कि इसे कम करते विकासशील देश के खाते

रूप शुद्ध किया जाये।

उदा- चीन की जाने वाली सहायता, सिंचाई पर की जाने वाली सहायता, उर्वरक पर की जाने वाली सहायता।

* इस सब्सिडी की दर को WTO के बालि सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया उपर्युक्त प्रस्ताव पर विकासशील एवं विकसित देशों के मध्य विवाद छद्मन हुआ जिसके समाधान के लिए इससे समझौते में शांति वापसा जौड़ा गया जिसका महत्वपूर्ण बातें निम्न

1) समस्त सदस्य देश इस समझौते पर 2014 तक sign करेंगे (समझौता 2017 तक स्पष्टित)

2) हस्ताक्षर ना करने के समय तक विकसित देश विकासशील देशों के विरुद्ध कृषि की लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कर सकते।

नैरोबी शिखर वार्ता :- Dec. 2015 में आयोजित WTO की शिखर वार्ता में निम्न निर्णय लिये गये-

1) अल्पविकसित देशों के विकास की निम्नैवारी विकसित एवं विकासशील देशों की होगी।

2) अल्पविकसित देशों के कृषि उत्पादों एवं वस्त्र उद्योग के उत्पादों पर कोई भी देश कितनी भी उम्र का प्रतिबंध नहीं लगा सकता
(व्यापार सख्तिकरण समझौता)

* 2015 में भारत के प्रतिनिधि निर्मला सीतारमण 11

आर्थिक संवृद्धि एवं विकास { Economic Growth & Development }

* किसी देश की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन उस देश की आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास की दर से किया जाता है।

→ किसी देश की आर्थिक economy में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को आर्थिक संवृद्धि कहा जाता है।

जैसे :- स्कूलों की संख्या में वृद्धि, सड़कों की लम्बाई में वृद्धि, मकानों एवं अस्पतालों की संख्या में वृद्धि

→ किसी देश की economy में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को उस देश का आर्थिक विकास कहा जाता है।

जैसे :- गाँवों में सड़कों का विकास।

* आर्थिक संवृद्धि सरकार एवं निजी क्षेत्रों के प्रयासों की देन होती है जबकि आर्थिक विकास के लिए प्रयास सरकार द्वारा किये जाते हैं।

→ आर्थिक संवृद्धि एवं विकास में पाये जाने वाला अन्तर ही आर्थिक विषमता कहलाता है।

Note :- इस आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए भारत में सरकार के द्वारा आर्थिक नियोजन किया जाता है। (पंचवर्षीय योजना)

आर्थिक संवृद्धि के मापन के आधार :-

1) GDP (सकल घरेलू उत्पाद) :- किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ^{निम्नलिखित} वित्तीय वर्ष की अवधि में किया गया समस्त उत्पाद चाहे वह घरेलू अथवा विदेशी नागरिकों ने किया हो।

Note :- भारत की GDP के क्षेत्र - 3

प्राथमिक क्षेत्र	-	कृषि	= 16.8%
द्वितीयक क्षेत्र	-	व्यापार, व्यवसाय, उद्योग	= 28.7%
तृतीयक क्षेत्र	-	सेवा	= 54.5%

Note :- यदि किसी देश की GDP बढ़ती है तो उसका अर्थ है कि उस देश के बाजार का आकार बढ़ा है।

→ GDP के आधार पर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है (बाजार मूल्य पर)

2) GDP (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) भारतीय नागरिकों के द्वारा समस्त विश्व में किया गया उत्पादन चाहे वह भारत में किया गया हो अथवा विश्व में

Note: IMF व WB, GDP के आधार पर ही किसी देश का आर्थिक मूल्यांकन करता है।

सूत्र: $GDP = GDP + (X - M)$

$\downarrow \quad \downarrow$
आयत निर्यात

NOTE: बन्द अर्थव्यवस्था में सदैव GDP = GDP

$$GDP = GDP + \underbrace{NFA}_{X-M} \text{ (Net factor income from abroad)}$$

NOTE किसी देश में GDP के बढ़ने में उस देश की बाह्य शक्ति में वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है।

3) NDP (शुद्ध घरेलू उत्पादन) : - किसी देश की GDP में से हानि अथवा क्षरण की मात्रा को कम करने के पश्चात् शेष उत्पादन

NDP कहलाता है।

Note: किसी भी वस्तु अथवा साधन में निरन्तर उपयोग के कारण होने वाले क्षरण (कमी) को मूल्य लागत कहा जाता है।

Note यही क्षरण उत्पादन की लागत कहलाती है जो निम्न प्रकार की होती है

लागत के प्रकार $\rightarrow$ 1) साधन लागत (factor cost) $\rightarrow$ उत्पादन के सभी साधनों पर किया गया व्यय।

प्राथमिक लागत
 $\rightarrow$ भूमि $\rightarrow$ किराया
 $\rightarrow$ श्रम $\rightarrow$ मजदूरी
 $\rightarrow$ पूँजी $\rightarrow$ ब्याज

द्वितीयक लागत
 $\downarrow$
सेवा $\rightarrow$ बीमा, बैंकिंग, परिवहन, ऊर्जा और सेवा

(18)

2) बाजार लागत (Market cost) :-

$$\text{शुद्ध मूल्यवाह कर - साधन लागत} = \text{अप्रत्यक्ष कर - सविटिडी}$$

$$\text{साधन लागत} + \text{NIDT} = \text{बाजार लागत}$$

शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (NIDT)
Net Indirect tax

Note बाजार मूल्य = बाजार लागत + अपेक्षित लाभ

चूंकि सरकार कुभी भी लाभ के लिए कार्य नहीं करती अतः सरकार के लिए

$$\text{बाजार लागत} = \text{बाजार मूल्य}$$

Note बाजार लागत को कम करने के उपाय $\rightarrow$ सविटिडी की राशि को बढ़ाए जाए (very bad) (पैसा नहीं एवं water का दबाव)

$\rightarrow$ अप्रत्यक्ष कर को कम दिया जाए (संग्रह GST विकल्प)

Note कर के 2 प्रकार होते हैं $\rightarrow$ प्रत्यक्ष कर :- जो व्यक्ति सरकार को चुकता है उसी पर बिना कर का बोझ बढ़े
उदा:- आयकर एवं निगम कर

$\rightarrow$ अप्रत्यक्ष कर :- सरकार को चुकता कोई और व्यक्ति है जबकि भार किसी और पर पड़ता है।

उदा:- Service tax, VAT, उत्पादन कर, आयकर शुल्क

समाधान - GST लागू किया जाए

Note वर्तमान समय में विकसित देश अप्रत्यक्ष कर का मूल्यवाह बाजार मूल्य पर करते हैं

Note: GDP, GNP, NDP व NNP का मूल्यांकन सदैव वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है। जितने समय में आर्थिक गतिविधियाँ निष्पादित की जाती हैं वही उस देश का वित्तीय वर्ष कहलाता है। (नॉर्वे - 8 माह, अष्ट्रेलिया - 2 माह, आइसलैंड - 4 माह)

- भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- भारत का वित्तीय वर्ष - 1 April से 31 मार्च
- 1947-67 तक भारत का वित्तीय वर्ष - 1 मध्य से 30 April
- भारत में कृषि वर्ष - 1 July से 30 June (RBI का भी वित्तीय वर्ष)

राष्ट्रीय आय (किसी देश की साधन लागत पर एक वित्तीय वर्ष में धरा की धराकर प्राप्त सकल राष्ट्रीय उत्पादन ही, उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है)

$$GNP_{FC} - \text{घास} = NNP_{FC} \text{ (राष्ट्रीय आय) (NCERT)}$$

Note IMF व WB के अनुसार NNP_{MC} उस देश की राष्ट्रीय आय होती है।

Note राष्ट्रीय आय की गणना में सदैव अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के योग को सम्मिलित किया जाता है ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों।

अंतिम वस्तु एवं सेवाएँ - जो बाजार में उपयोग के लिए तैयार हो।

राष्ट्रीय आय से संबंधित तथ्यात्मक बिंदु:-

- भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादाभाई नौरोजी द्वारा 1868 में पुस्तक - Poverty and Un-British Rule in India - (20 रू. प्रति वर्ष आय बराबर)
- वैज्ञानिक रीति में स. भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का मापन वर्ष 1931 में VKRV राव द्वारा।

→ राष्ट्रीय आय का जन्मदाता - साइमन कुर्जनेट्स

→ वर्ष 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, अध्यक्ष

प्रशांत चंद्र महालनोबिस

सदस्य → M.K. गाडगील
V.K.R.V. राव

NOTE - भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना एवं द्वितीय औद्योगिक नीति (1956) महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इन्हें भारत में सांख्यिकीय का पिता कहा जाता है।

PCM-विस की भूमि जन्मदिन (29 June) को राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

→ भारत में राष्ट्रीय आय का मापन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) (1951 में स्थापित) के द्वारा किया जाता है।

NOTE - CSO को आंकड़े NSSO (राष्ट्रीय सांख्यिकी एवं सर्वे संगठन) के द्वारा उद्योग किये जाते थे परन्तु वर्तमान में CSO को आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकीय केंद्र (स्थापना 2005-06) के द्वारा उद्योग किये जाते हैं।

NOTE - राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर कीमतों एवं चालू कीमतों पर की जाती है। चालू कीमत चालू वर्ष के आधार पर होती है तथा स्थिर कीमतों आधार वर्ष के पर ली जाती है।

हाल ही में भारत का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है।

राष्ट्रीय आय की मापने की विधियाँ :

(1) उत्पादन विधि :-

उत्पादन

राष्ट्रीय आय की इस विधि में उत्पादन एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है।

(2) आय विधि :- इस विधि के अन्तर्गत उत्पादन के समस्त साधनों में प्राप्त आय (किसाया, ब्याज, भुजपुरी एवं लाभ) को जोड़ा जाता है।

(3) व्यय विधि :- इस विधि में कुल व्यय एवं व्ययों को जोड़ा जाता है।

जिसमें आय एवं
उत्पादन में वही व्यय
गणना की जाती है।

Note :- भारत में (3) विधि से राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जाती है क्योंकि C.S.O. के लिए व्यय एवं व्ययों का अनुमान लगाना आसान नहीं है।

राष्ट्रीय आय में जुड़ी अन्य अवधारणाएँ

(1) प्रति व्यक्ति आय :- राष्ट्रीय आय / कुल जनसंख्या

Note भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य। केन्द्रशासित प्रदेश

1) गोवा 2) दिल्ली 3) सिक्किम 4) चंडीगढ़ 5) पांडिचेरी / पण्डिचेरी

Note सबसे कम 'बिहार'

Note प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रचलित पर्य (चालू वर्ष) एवं पिछले कीमतों (आधार वर्ष) पर की जाती है।

(22)

(2) रुप शक्ति समता (Purchasing power parity)

इस अवधारणा में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर के आधार पर किसी देश की प्रचलित मुद्रा के द्वारा प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है।

Note: 2015-16 के अनुसार सर्वाधिक PPP वाले देश 1) अमेरिका

2) चीन

3) भारत

4) जापान

Purchasing Power Parity
रुप शक्ति समता

(3) हिन्दू विकास दर :- 1950-80 तक भारत की औसत वृद्धि दर 3-3.5% तक थी जिसे योजना आयोग के पूर्व मध्य प्रो. राजकृष्णन ने व्याख्यात्मक रूप में हिन्दू विकास दर की संज्ञा दी।

आर्थिक विकास :

अर्थव्यवस्था में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन आर्थिक विकास कहलाता है। भारत में आर्थिक विकास के लिए 2007 से प्रयास किए गए हैं (2007 से पहले तक आर्थिक संवृद्धि = आर्थिक विकास)

आर्थिक विकास की अवधारणा :-

- (1) आर्थिक संवृद्धि : अर्थव्यवस्था में होने वाला संख्यात्मक परिवर्तन
- (2) आर्थिक समावेशीकरण : वह आर्थिक संवृद्धि जिसमें समाप्त लोगों को आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाए।
- (3) सशक्तिकरण : वह आर्थिक संवृद्धि जिसमें लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

→ UNDP के अनुसार लोगों की निम्नलिखित आवश्यकताएँ निवारित की गयी हैं -

→ पोषण, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, सुरक्षा, ऊर्जा, बीमा, बैंक

(4) आर्थिक स्थिति :- वह आर्थिक संवृद्धि जिसमें लगातार आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(5) आर्थिक सम्पौषणीयता :- वह संवृद्धि जिसमें तब मापक्यों एवं गुणवत्ता के आधार पर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।

Note योजना आयोग के अनुसार भारत वर्तमान में 'समावेशीकरण' की अवस्था से गुजर रहा है। (2060 के अन्त तक सम्पौषणीयता को प्राप्त कर लिया जाएगा)

आर्थिक विकास को मापने के सूचकांक (UNDP द्वारा निर्धारित किये गए)

1) मानव विकास सूचकांक (Human development Index) HDI

→ इसे UNDP के द्वारा वर्ष 1990 में शुरू किया गया। (PAK अर्पशास्त्री महबूब-उल-हक द्वारा प्रतिपादित), (पी. अमर्त्य सेन का योगदान)

→ यह आर्थिक विकास सूचकांकों में सर्वाधिक चर्चित सूचकांक है जिसके माध्यम से किसी देश में हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को पहचाना जाता है।

→ इस सूचकांक में निम्न 3 उपसूचकांकों की गणना की जाती है -

1) जीवन प्रत्याशा सूचकांक LEI / life

→ इस सूचकांक में किसी देश के नागरिक की औसत आयु का आकलन किया जाता है यही औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाती है।

India पुरुष - 67.3 वर्ष

महिला - 68.6 वर्ष

(29)

Note: सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा JAPAN (83.6 वर्ष)

2) शिक्षा उपलब्धता सूचकांक (EAT)

→ इस सूचकांक का आधार शिक्षा को माता गया है जिसमें निम्न दो गतिविधियाँ शामिल होती हैं

- ① स्कूल में प्रवेश की औसत आयु (4.2 वर्ष) 4.2 year
 ② स्कूल में बिना रुक वर्षों की संख्या (11.4 वर्ष) India

NOTE - यह सूचकांक UNESCO के द्वारा शुरू किया गया है।

3) सकल राष्ट्रीय आय सूचकांक (PCI) (PPP पर गणना)

→ इस सूचकांक को विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत देश के नागरिकों की आय रूप शक्ति भयता के आधार पर निकाली जाती है।

NOTE

$$HDI = \frac{1}{3} (LET + EAT + PCI)$$

NOTE भारत की स्थिति :- 1990 = 0.369 निम्नतम विकास सूचकांक

2013 = 0.550 0.510 से कम

2014 = 0.586 - 135वाँ स्थान

उपलब्ध मानव विकास सूचकांक
 समय
 माते अनुसार

2015 = 0.609 - 130वाँ - (0.510 - 0.618)

HDI सूचकांक = 0.698 - 0.983

0.800 से अधिक

NOTE कुल 189 देशों को शामिल किया गया है।

सर्वाधिक - नॉर्वे, आस्ट्रेलिया
 (0.949)

कम - नाइजीरिया (0.54)

0.337

HDI के आधार :- 0 दीर्घावधि जीवन प्रत्याशा - जल्द के रूप में जीवन प्रत्याशा

① जीवन की गुणवत्ता - शिक्षा ② बेहतरीन जीवन के लिए संसाधन - इसे व्यक्ति आय

2010 के 3 नए सूचकांक और शामिल किए गए हैं

① मानव विकास सूचकांक ② शिक्षा सूचकांक ③ वृद्धावस्था सूचकांक

प्रस्ताव - 0.434 के साथ 17वाँ स्थान / 2015 में निम्न 7 N-H सूचकांकों (मनुष्य के गतिविधियों) एक माना गया है

2) लैंगिक विकास सूचकांक (Gender development Index)

- इसे UNDP द्वारा 1995 में शुरू किया गया। United National development program
- इस सूचकांक में आर्थिक गतिविधियों का महिलाओं के जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वह आकलन किया जाता है।

(A) जीवन प्रत्याशा सूचकांक (LEI) { पुरुष
महिला

(B) शिक्षा - 11 -

(C) ~~यह~~ - 11 -

यह मानव विकास सूचकांक से बेहतर सूचकांक है क्योंकि इस सूचकांक के द्वारा पुरुष व महिला दोनों के विकास की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है।

3) लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक (GEM)

- इसे UNDP द्वारा 1995 में शुरू किया गया।
- इसके अन्तर्गत किसी देश में महिलाओं को प्राप्त निम्न 3 अधिकारों के आधार पर महिलाओं की स्थिति का मापन किया जाता है।

(A) कानून बनाने का अधिकार :- चुनाव एवं चयन का अधिकार

(B) कानून लागू करने का अधिकार - नौकरशाही में भूमिका

(C) योजना से लाभान्वित होने का अधिकार - आर्थिक योजना में लाभार्थी होना।

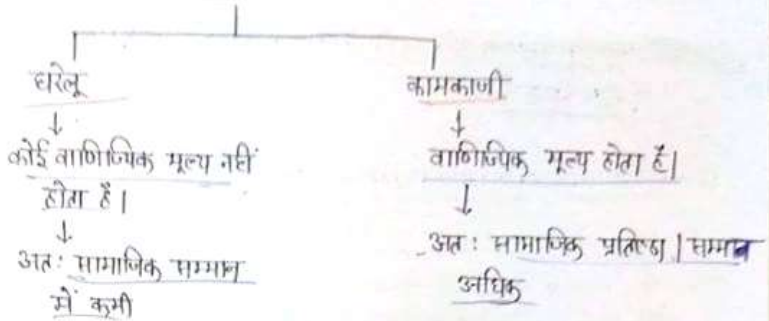
Note: भारत की स्थिति (A) 77.24.

(B) 20.34.

(C) 18.1

26

(4) लैंगिक बेहतरी सूचकांक (GWT)



→ इस सूचकांक में महिला के वाणिज्यिक मूल्य की गणना की जाती है।

→ यह सूचकांक UNDP द्वारा 2010 में शुरू

→ भारत में कामकाजी महिला - 13.86%

(5) तकनीकी उपलब्धता सूचकांक (TAI)

→ यह UNDP के द्वारा वर्ष 2001 में शुरू।

→ इस सूचकांक में निम्न 4 उपसूचकांक शामिल होते हैं -

← नेतृत्व देश
समाख्य
गतिशील ग्रहण
सीमांत

1) तकनीकी घुलन (TC)

2) नई तकनीक का उपयोग (DNT)

3) पुरानी तकनीक का उपयोग

4) मानव कुशलता (Human skills)

→ India - गतिशील ग्रहण - कुशल

Note सर्वाधिक TAI वाले देश Leader Country नेतृत्व देश

① Finland ② Germany ③ Japan ④ USA ⑤ S. Korea

Note संघात ग्रहणकर्ता — सोमालिया एवं पाकिस्तान

Note मानव कुशलता को बढ़ाने के लिए हाल ही में India कार्यक्रम शुरू किया है।

(6) सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक (GNHI)

→ 1972 में भूटान के द्वारा शुरू किया गया।

→ यह सूचकांक विकसित को खुशहाली के नजरिए से देखता है क्योंकि विकसित तथा विकसित माना जा सकता है जब वह खुशी प्रदान करे।

→ इस सूचकांक में निम्न भौतिक व अभौतिक सूचकांकों को शामिल किया जाता है

1) प्रति व्यक्ति आय

2) सुशासन (भ्रष्टाचार एवं सरकार व जनता के मध्य विवाद)] भौतिक

3) पर्यावरणीय संरक्षण

4) सांस्कृतिक प्रोत्साहन] अभौतिक

→ भावनाओं के आधार पर मापा जाता है।

* इस सूचकांक को लेकर भारत का रुख स्पष्ट नहीं है।

BUDGET {बजट}

बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द BOUTEE से हुई है जिसका अर्थ है - चाँड़े का पैला (पर्स)

शाब्दिक अर्थ में खर्चों का पूर्वानुमान ही बजट कहलाता है क्योंकि सभी अर्थशास्त्री व्यय को ही जीवन का आधार मानते हैं।

इसी खर्चों को संतुलित करने के लिए व्यय आय के साधन जुटाता है तथा दोनों हिस्सों को संतुलित करना ही बजटिंग कहलाता है।

बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य: →

1. भारत में सर्वप्रथम 1860 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन के द्वारा बजट बनाया गया, जिन्होंने भारत में बजट का जनक कहा जाता है।
 2. 1944 में लॉम्बे प्लान में बजट की नयी अवधारणा को अपनाया गया (व्यय से आय को संतुलित करना) तत्पश्चात् संविधान सभा ने भी इसी आधार को अपनाया तथा संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट संबंधी प्रावधान बनाए गए (अनुच्छेद 202 - राज्यों का बजट)।
 3. भारत में आम बजट आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा बनाया जाता है जिसे फरवरी माह के अंतिम दिन संसद में फinance मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
 4. बजट में 3 वर्षों के आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं - विगत वर्ष, चालू वर्ष, अग्रिम वर्ष
 5. भारत के प्रथम फinance मंत्री - लियाकत अली (अंतरिम सरकार)
- स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट - धनमंजुषा चेट्टी द्वारा 26-11-1947 पेश किया गया।

BUDGET {बजट}

बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द BUDGETEE से हुई है जिसका अर्थ है - चमड़े का पैसा (पर्स)

शाब्दिक अर्थों में खर्चों का पूर्वनिर्माण ही बजट कहलाता है क्योंकि सभी अर्थशास्त्री व्यय को ही जीवन का आधार मानते हैं।

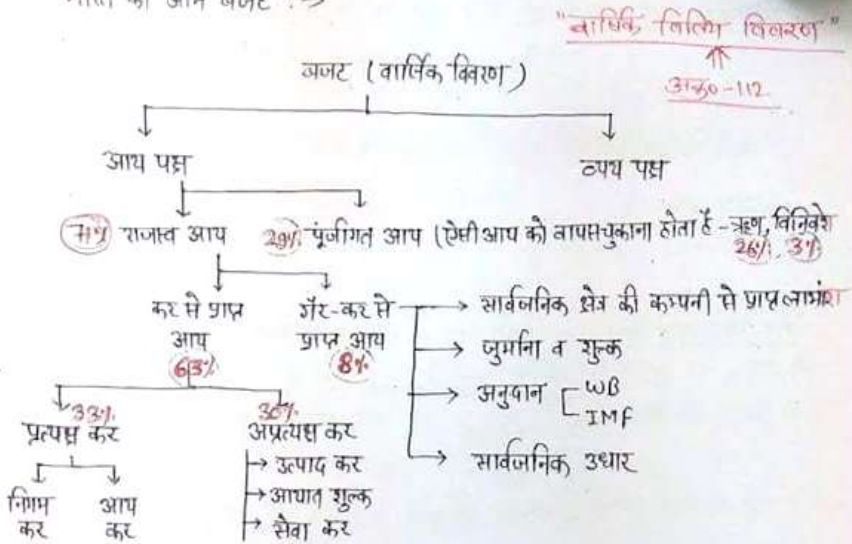
इन्हीं खर्चों को संतुलित करने के लिए व्यक्ति आय के साधन जुटाता है तथा दोनों क्रियाओं को संतुलित करना ही बजटिंग कहलाता है।

बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य :-

1. भारत में सर्वप्रथम 1860 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन के द्वारा बजट बनाया गया, जिन्हें भारत में बजट का जनक कहा जाता है।
2. 1944 में वॉम्बे प्लान में बजट की नयी अवधारणा को अपनाया गया (व्यय से आय को संतुलित करना) तत्पश्चात् संविधान सभा ने भी इसी आधार को अपनाया तथा संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट संबंधी प्रावधान बनाए गए (अनुच्छेद 202 - राज्यों का बजट)।
3. भारत में आम बजट आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा बनाया जाता है जिसे फरवरी माह के अंतिम दिन संसद में वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
4. बजट में 3 वर्षों के आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं - विगत वर्ष, चालू वर्ष और अगमि वर्ष।
5. भारत के प्रथम वित्त मंत्री - लियाकत अली (अंतरिम सरकार)
स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट - सठामुज्जम चौदरी द्वारा 26-11-1947 पेश किया गया।

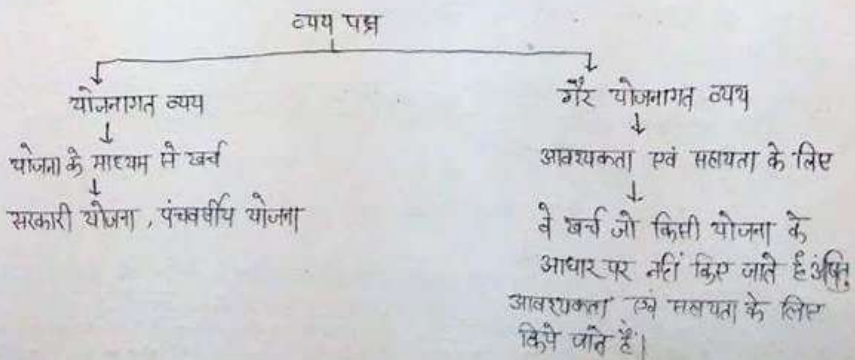
6. संसदीयान के लागू होने के पश्चात् प्रथम बजट 1950 में जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
7. हिन्दी में प्रथम बजट C.D. दैतामुख के द्वारा पेश किया गया (RBI के गवर्नर से वित्त मंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति)
8. सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्तमंत्री - मोरारजी देसाई (10) बार
(8 संपूर्ण बजट + 2 अंतरिम बजट)
दूसरे स्थान पर P. चिदम्बरम (8 आम बजट + 1 - " -)
9. भारत के वे वित्त मंत्री जो बाद में राष्ट्रपति बने - R. वेंकटरमन
- प्रणब मुखर्जी
10. - " - जो बाद में P.M. बने - डॉ. मोरारजी देसाई
- चौधरी चरण सिंह
- बिश्वनाथ प्रताप सिंह
- डॉ. मनमोहन सिंह
11. भारत के वे P.M. जिन्होंने बजट पेश किया - पण्डित Nehru (1958)
- इन्दिरा गांधी (1970)
- राजीव गांधी (1987)
- मनमोहन सिंह (2010 व 2012)

भारत का आम बजट : →



निष्कर्ष: →

- (1) राजस्व आय > पूंजीगत आय
- (2) कर से आय > गैर कर से आय
- (3) प्रत्यक्ष कर > अप्रत्यक्ष कर की आय की आय
- (4) निगम कर > आय कर
- (5) उत्पाद कर से आय > आयातों से आय > सेवा कर से आय



62

योजनागत व्यय : → सरकार के वे खर्च जो योजना के आधार पर अन्तर्गत किए जाते हैं। (पंचवर्षीय योजना एवं सरकारी योजना के अन्तर्गत किए गए खर्च)

इसमें निम्नलिखित दो व्यवहार शामिल होते हैं -

1] ग्रहण अदायगी

2] निवेश (विकास के लिए किया गया खर्च)

गैर योजनागत व्यय : → इसमें भी निम्न दो व्यवहार शामिल होते हैं -

1] व्यय की अदायगी

2] सस्मिडी

3] रक्षा

4] वेतन, पेंशन

व्यय पद्धति
1978-80 के 52 करोड़ रु.
केन्द्र का हिस्सा 63% (65)
राज्यों का हिस्सा 37% (35)

NOTE : 1] सर्वाधिक खर्च व्यापक चुकोन में।
फिर सस्मिडी तथा बाद में रक्षा पर खर्च।

2] गैर योजनागत व्यय > योजनागत व्यय

NOTE : आगले वर्ष में सस्मिडी में 3% बढ़ती का लक्ष्य रखा गया है।

3] कुल व्यय > कुल आय

घाटा = 5,33,904 करोड़

↓
भारत का कुल घाटा (राजकोषीय घाटा) GDP के 3.5% के बराबर है।

2014-15 के बजट का 4.0% रखा।
2015-16 में 3.62%, 2016-17 में 3.62% निर्धारित है।
- राजकोषीय अतिसंचित और अन्य संचयन अधिमिश्रण - 2005 (P. 118, 119) के अनुसार राजकोषीय घाटा GDP के 3% के अधिक नहीं होना चाहिए।

* वज्र में घाटे के प्रकार : →

1. वज्रतीय घाटा : वर्तमान में यह शब्दकोषीय घाटा कहलाता है।

(कुल व्यय - कुल आय) अर्थात् सरकार की दैनिकीयों ही राजकोषीय घाटा है।

→ इस घाटे को दूर करने के उपाय : - मनोरथों का निर्गमन (Bad idea)

↓
वर्ष 1997 तक वज्रतीय घाटे को दूर करने

के लिए सरकार नए नौयों के निर्गमन से संतुलन बनाती थी परन्तु इस उपाय की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इससे मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती थी जिससे मांग बढ़ जाती थी तथा साथ ही मुद्रा स्फीति में वृद्धि होती थी।

अतः 1997 के बजट डॉ. मनमोहन सिंह ने इस घाटे को दूर करने के लिए निम्न उपाय बताए -

1. वज्रतीय घाटे की अगर राजकोषीय घाटा
2. घाटे को दूर करने के लिए सरकार ऋण एवं निवेश को बढ़ावा दे।

* अन्य उपाय : → 1. कर की दरों में वृद्धि (कुर्सी का खतम)

2. सब्सिडी में कमी (सम्भव नहीं) ~~कमिशन रूप के रूप में दिया है~~

3. कर में सुधार (GST - VAT)

4. तकनीकी एवं कुशलता का विकास (जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन हो)

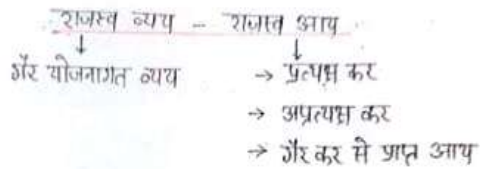
(GDP ++)

(Skill India, Digital India)

NOTE राजकोषीय घाटा कभी भी GDP के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए P.B.P. 2005

NOTE 2012-13 में यह घाटा GDP के 4.8% तक था। जिसे प्रतिवर्ष 0.3 तक कम करने का लक्ष्य रखा गया।

2. राजस्व घाटा :- $\Rightarrow$ राजस्व - आय -



$\rightarrow$ 2003 में लक्ष्य रखा गया कि राजस्व घाटा = GDP का 0.1% होना चाहिए क्योंकि राजस्व घाटा बताता है कि सरकार के पास दैनिक कार्यों को पूरा करने के भी पैसे नहीं हैं। वर्तमान में यह GDP के 2.3% के बराबर है।

(पिछले वर्ष GDP का 2.5% था) राज्य का 2015-16 में बजट 12,31 करोड़ रुपये व्यय

$\rightarrow$ रोकने का उपाय $\rightarrow$ राजस्व आय में वृद्धि (करों में सुधार)

3. प्राथमिक घाटा :- $\Rightarrow$ प्राथमिक व्यय - प्राथमिक आय



$\rightarrow$ वर्तमान में प्राथमिक घाटा GDP का 0.3% है। (निरन्तर कमी हो रही है।)

4. प्रभावी राजस्व घाटा :- $\Rightarrow$ राजस्व घाटा - राज्यों पर किया गया व्यय

$\rightarrow$ सरकार के द्वारा राज्यों पर किया गया खर्च ही प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है।

2. बजट के प्रकार: $\Rightarrow$

1. लाइन इम बजट (Line Item Budget)

$\rightarrow$ इसे परम्परागत बजट भी कहते हैं।

$\rightarrow$ ऐसे बजट में खर्च पर और दिया जाता है ना कि खर्च के उद्देश्य पर

2. निष्पादन बजट (Performance Budget)

$\rightarrow$ वह बजट जो खर्च के उद्देश्यों पर और देता है।

$\rightarrow$ भारत में इस बजट की शुरुआत सर्वप्रथम 1987 में राजीव गांधी के द्वारा की गयी।

3. शून्य आधारित बजट (Zero based Budgeting)

$\rightarrow$ इस बजट में पुरानी भवनों को शून्य कर दिया जाता है तथा नए सिरे से बजट बनाया जाता है।

$\rightarrow$ इस बजट की शुरुआत 1960 के दशक में जिमी कारर (जॉर्जिया के गवर्नर, USA) के द्वारा की गयी।

NOTE: 2014-15 का संसदीय बजट इसी आधार पर बनाया गया।

4. परिणाम आधारित बजट (Outcome Budget)

$\rightarrow$ 2005 में पी. चिदम्बरम

$\rightarrow$ ऐसा बजट जिसमें परिणाम के आधारित व्यय किया जाता है तथा जिसकी निरन्तर समीक्षा की जाती है।

67

5. अन्तरिम बजट :-> (Interim Budget)

- चुनावी वर्ष में नीतिगत निर्णय लेने हेतु बनाया गया बजट।
- इसे संपूर्ण वर्ष के लिए नहीं बनाया जाता।

6. जेण्डर बजट :->

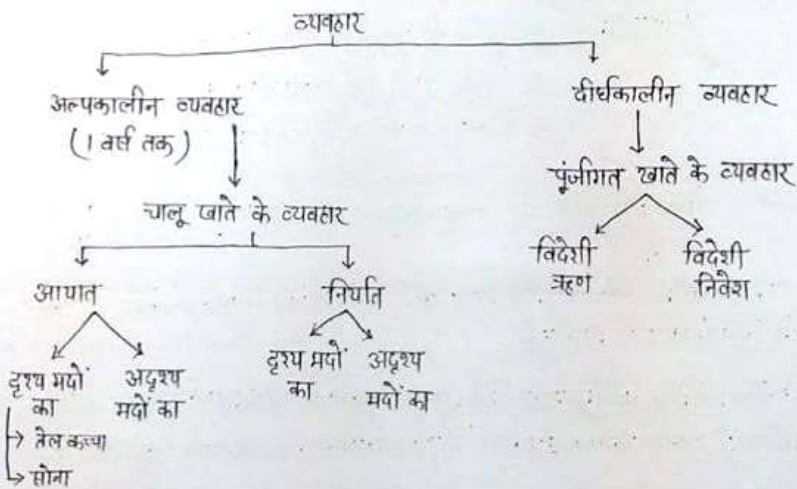
- 2005 पी. चिदम्बरम
- वह बजट जिसमें महिलाओं के लिए अलग से खर्च की व्यवस्था की जाती है ताकि आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़े।

★ भुगतान - संतुलन ★

{ Balance of Payment }

* वर्तमान वैश्वीकरण के युग में प्रत्येक देश अन्तर्राष्ट्रिय लेन-देन के माध्यम से अपना आर्थिक विकास करना चाहता है। इसी सन्दर्भ में उस देश को विदेशों से आयात भी करना होता है तथा भाषा नियति भी किया जाता है। इन दोनों व्यवहारों में रखा गया सन्तुलन ही भुगतान सन्तुलन कहलाता है।

* भुगतान सन्तुलन में निम्नलिखित 2 व्यवहार शामिल होते हैं। "आयात-आगत में व्यापार सन्तुलन"



* चालू खाते के व्यवहार :-

1) दृश्य मयों के व्यवहार

→ ऐसे व्यवहार जिन्हें आँखों से देखा जा सके तथा जिन्हें बंदरगाह पर रिकॉर्ड किया जा सके अर्थात् वस्तुओं के व्यवहार।

→ इसे व्यापार खाता भी कहते हैं।

असंख्य व्यवहारों में निम्न दो पक्षों पर ध्यान दिया जा सकता है -

1. आपात > निर्यात (घाटा)
2. निर्यात > आपात (आधिव्यय)

NOTE: भारत में इस व्यवहार में घाटे की स्थिति है। इस घाटे को व्यापार घाटा कहा जाता है।

→ व्यापार घाटे के कारण :- 1.] POL वस्तुओं का अधिक आयात
 ↓
 पेट्रोल, ऑयल, स्नेहक
 2.] सोने की अधिक मांग

→ निवारण :- 1.] सोने की खपत को कम किया जाए
 2.] सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए।
 3.] डीजल एवं पेट्रोल के सहउत्पादों को बढ़ाया जाए।

वर्तमान सरकार के सोने की खपत को कम करने के उपाय :- भारत में आम

नागरिक सोने के उपभोग के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सोने में निवेश भी करते हैं।

→ निवेशकों की सोने के मूल्य के उतार-चढ़ाव से फर्क पड़ता है अतः ऐसे निवेश के लिए वर्तमान सरकार ने निम्नलिखित 2 योजनाएँ शुरू की हैं -

(1) सम्प्रभु गॉल्ड बॉन्ड योजना :- →

① केन्द्र सरकार द्वारा 8 वर्ष की अवधि तक गॉल्ड बॉन्ड जारी किए जाएंगे।

② ऐसे बॉन्डों की नीलामी RBI के द्वारा की जाएगी तथा प्राप्त रकम केन्द्र सरकार को दी जाएगी।

③ min सोना = 2 gm. व max. सोना = 500 gm. प्रति निवेशक

- ④ निवेशक bank एवं post office के माध्यम से ऐसे bond खरीद सकते हैं।
- ⑤ व्याज की दर = 2.75% अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि व्याज की दर से (निवेशकों को यदि लाभ होता है तो उस पर कर नहीं लगाया जाएगा)
- ⑥ निवेशक 5 वें वर्ष में प्रपत्र (bond) को बेचकर अपना निवेश प्राप्त कर सकता है उससे पहले नहीं प्राप्त कर सकता।

(2) गोल्ड मॉड्रिकीकरण योजना : →

- ① इस योजना के अन्तर्गत नागरिक अपना भौतिक सोना अथवा आभूषण बैंकों के पास जमा करा सकते हैं (min. 30 gm. सोना, अधिकतम कोई सीमा नहीं)
- ② जमा किए गए सोने की कीमत के बराबर रकम जमाकर्ता के गोल्ड अक्युंन्ट खाते में जमा कर दी जाएगी।
- ③ निवेश की वैधता अवधि : → min. 1 साल, max. 15 साल
- ④ निवेश पर व्याज की दर → 2-2.5% वार्षिक
- ⑤ वैधता अवधि के पश्चात् निवेशक या तो सोना प्राप्त कर सकता है या निवेश की रकम

NOTE पूंजीगत मशीनों उत्पादों में आयात की कम करने हेतु राष्ट्रीय पूंजीगत उत्पादक योजना April 2016 से शुरू की गयी जिसका लक्ष्य है कि 2025 तक भारत में पूंजीगत उत्पादों का उत्पादन 4-15 करोड़ टन किया जाए।

अदृश्य मर्चों का व्यवहार :- ऐसे व्यवहार जो आँखों से दिखायी नहीं देते तथा जिन्हें बंदरगाह पर दर्ज न किया जा सके

जैसे : सेवाओं के व्यवहार

NOTE भारत की स्थिति : निर्यात > आयात (आधिव्य)

NOTE अदृश्य व्यवहारों में आधिव्य का कारण :-

- ① भारत में सेवाओं के प्रति कम जागरूकता
- ② भारत का उन्नत साफ्टवेयर क्षेत्र
- ③ GPO व KPO सेवा
- ④ पर्यटन क्षेत्र

NOTE अदृश्य मर्चों का आधिव्य व्यापार घाटे से काफी कम है। इन दोनों का कुल सन्तुलन ही भारत का चालू खाते का धारा कहलाता है।

NOTE राजकौपीय धारा घरेलू मुद्रा के घाटे की दशति है। तथा चालू खाते का धारा, विदेशी मुद्रा के घाटे की दशति है तथा ये दोनों घाटे आपस में जुड़कर जुड़ा घाटे कहलाते हैं।

NOTE भारत में चालू खाते का धारा वर्तमान में GDP का ^{1.5%} ~~2.5%~~ है।

NOTE विश्व 3 महाद्वीपों में भारत के कुल आयातों में 16% की कमी आ रही है।
(कच्चे तेल की कीमतों में कमी)

↓ के कारण

① यूरोपियन संघ की आर्थिक वृद्धि में कमी जिससे कच्चे तेल के आयात में कमी।

② चीन संकट ③ अमेरिका द्वारा कच्चे तेल की आपूर्ति को बढ़ाना

पूंजीगत खाता:

दीर्घकालीन प्रकृति के व्यवहार
(1 साल से अधिक)विदेशी ऋण

1. चलू खाते के घाटे की पूर्ति $\rightarrow$ अल्पकालीन ऋण
करने हेतु एवं बुनियादी ढाँचे को $\rightarrow$ दीर्घकालीन ऋण
मजबूत करने हेतु भारतीय सरकार विदेशी
आर्थिक संस्थानों से ऋण प्राप्त करती है
जिसे विदेशी ऋण कहा जाता है।

2. यह विदेशी ऋण IMF, WB,
ADB, BRICS BANK इत्यादि
से लिया जाता है।

3. विदेशी ऋण अल्पकालीन एवं
दीर्घकालीन प्रकृति का होता है।

(17% अल्पकालीन IMF
83% दीर्घकालीन) ADB

NOTE भारत का कुल विदेशी ऋण
480 बिलियन डॉलर है।

10^6 = मिलियन (सहस्र)

10^9 = बिलियन (असहस्र)

10^{12} = ट्रिलियन (हज़ारों करोड़)

एवं विदेशी मुद्रा भण्डार

$\rightarrow$ 362 बिलियन डॉलर

विदेशी निवेश

FDI

FII

विदेशी नागरिकों एवं संस्थाओं
द्वारा भारत में किया गया निवेश
विदेशी निवेश कहलाता है।

यह निम्नलिखित दो माध्यमों से
किया जाता है -

① FDI: (Foreign direct investment)
(विदेशी प्रत्यक्ष निवेश)

$\rightarrow$ यह स्थायी प्रकृति का निवेश होता है
जिसमें 'प्रबंधन' में विदेशियों की प्रत्यक्ष
भागीदारी होती है।

(min. 10%
max. 100%)

NOTE FDI में पूंजी पलायन की
प्रवृत्ति कम होती है।

② FII (Foreign Institutional investment)
(विदेशी संस्थागत निवेश)

$\rightarrow$ यह अस्थायी प्रकृति का निवेश होता है
जिसमें विदेशी संस्थाएँ बिना प्रबंधन
में भागीदारी लिए भारतीय बाजार में
निवेश करती हैं।

अतः भारत का विदेशी ऋण विदेशी मुद्रा के भण्डार की तुलना में बहुत अधिक है, जिसे दूर करने के लिए विदेशी निवेश की आवश्यकता होती है।

→ FII में पूंजी पलायन की प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है। अतः इसे Hot Money कहा जाता है।

NOTE: FDI व FII में अन्तर के लिए अरविन्द माधाराम समिति का गठन किया गया (2011 में) तथा FII की व्याख्या के लिए चन्द्रशेखर समिति का गठन किया गया। (2009 में)

* भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य :-

① भारत के प्रमुख निर्यातक उत्पाद एवं सेवाएँ :- सॉफ्टवेयर, कृषि उत्पाद, चमड़ा,

जुमरा & ज्वेलरी, हस्तशिल्प एवं वस्त्र (रत्न)

② - " - निर्यातक देश :- यूरोपियन संघ (EU)

UAE

USA

CHINA

Singapore

③ - " - आयातक उत्पाद :- कच्चा तेल, सोना, प्रंजीगत उत्पाद
(जो लम्बे समय तक काम आए),
मशीनरी, स्नेहक

34

- (4) प्रमुख आयातक देश → china
UAE
Switzerland
USA
Singapore

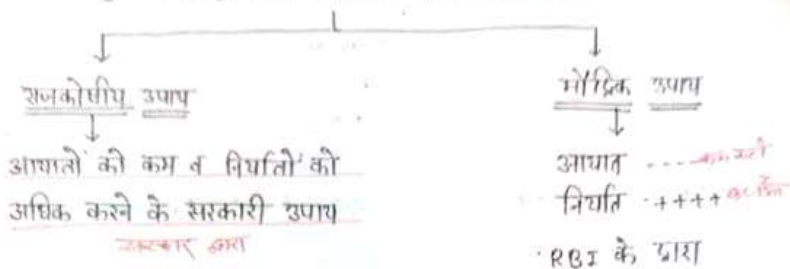
विशेष नोट
 भारतीय वस्तुओं के आयात पर
 CESS 5%
 NOTE:

- (5) भारत के कुल निर्यात → 477.1 बिलियन डॉलर I
 दृश्य मणों के निर्यात → 321.5 - II - II
 अदृश्य - II - → 155.6 - II - III

- (6) भारत के कुल आयात → 609.9 - II - IV
 दृश्य - II - → 463 V
 अदृश्य - II - → 146.9 VI

→ व्यापार घाटा = V - II (दृश्य मणों के कुल आयात - निर्यात)
 अदृश्य मणों का आधिक्य = VI - III (+) (अदृश्य मणों का कुल आयात - निर्यात)
 -वातु खाते का शेष = IV - I (-) (कुल आयात - कुल निर्यात)

* भुगतान सन्तुलन को व्यवस्थित करने के उपाय :-



(A) आयातों को कम करने के सरकारी उपाय

→ आयात प्रतिबन्ध नीति (1950-1991)

→ आयात प्रतिस्थापन नीति

(B) निर्यात को बढ़ावा देने के सरकारी उपाय

① निर्यात संवर्धन नीति

- सन्सिडी
- SEZ की स्थापना (Special economic Zone)

② निर्यात ब्रांडिंग नीति → Focus Market

↓
लैटिन अमेरिका, ASEAN, West Asia, South Asia

→ Focus product

↓
Gems & Jewellery, पर्यटन, Software

भुगतान मन्तुल्य को व्यवस्थित करने के मौखिक उपाय :-

भुगतान मन्तुल्य

को व्यवस्थित करने के लिए RBI के द्वारा आपात को कम करने एवं नियति को बढ़ावा देने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हें मौखिक उपाय कहते हैं।

इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं -

(1) मुद्रा की तरक्का में कमी करने के उपाय :-

← CRR
SLR
RR

(2) रूपस का अवमूल्यन :- जब सरकारी प्रयासों से भारतीय मुद्रा के बाहर मूल्य में कमी कर दी जाए तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं।

यदि ऐसा उपाय अपनाया जाता है तो अन्तराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाम पर भारतीय मुद्रा की क्रयशक्ति में कमी आ जाती है जिससे निर्यातकों को लाभ पहुँचता है तथा आयातकों को नुकसान।

चूँकि भारत में निर्यात < आयात, अतः यह उपाय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं माना गया है।

NOTE स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक भारत में 1949, 1968 एवं 1991 में रूपस का अवमूल्यन किया जा चुका है।

★ सस्मिडी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (POS) ★

↓
का अर्थ है 'सहायता' जो आर्थिक रूप में की जाती है।

सामान्यतया इसे सम्प्रभुता की कीमत कहा जाता है जो निम्न उद्देश्यों के लिए चुकायी जाती है -

- 1-> सामाजिक न्याय के लिए
- 2-> मुद्रा स्थिति एवं अवस्थिति की दशा से निपटने के लिए
- 3-> आर्थिक प्रेरणा के लिए

सस्मिडी के प्रकार :-

1) स्वरूप के आधार पर :-

(A) प्रत्यक्ष सस्मिडी :- जिसका उल्लेख बजट में किया जाता है।

(B) अप्रत्यक्ष सस्मिडी :- --" -- नहीं --"

निष्कर्ष → अप्रत्यक्ष सस्मिडी > प्रत्यक्ष सस्मिडी
(60%) (40%)

2) प्रभाव के आधार पर :-

(A) मेरिट सस्मिडी → वह सस्मिडी, जिसका प्रभाव समाज के व्यापक वर्ग पर पड़ता हो।

जैसे : शिक्षा, स्वास्थ्य, परिया etc.

(B) गैर मेरिट → जिसका व्यापक प्रभाव ना पड़ता हो।

→ जो कुछ वर्ग के लिए घोषित हो।

ई२. petrol, diesel & Gas पर दी जाने वाली सहायता

3) क्षेत्र के आधार पर :-

(A) आर्थिक सस्मिडी :- → अर्थव्यवस्था के विस्तार के उद्देश्य से दी गयी आर्थिक सहायता।

जैसे > आधारभूत संरचना के लिए दी गयी सहायता

7.

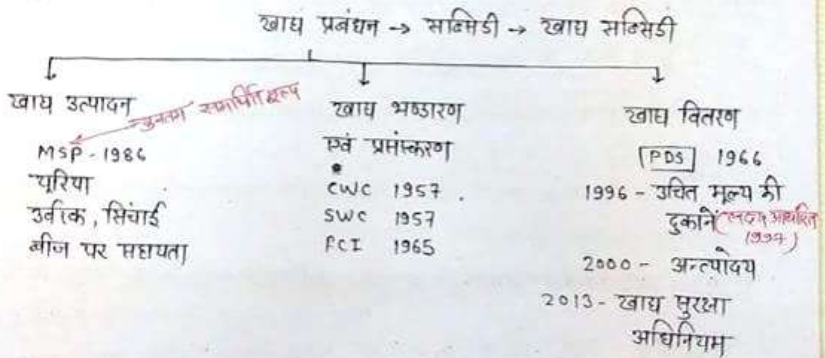
(B) सामाजिक सन्धि : → सामाजिक न्याय एवं कल्याण के लिए दी गयी सहायता

जैसे :- गरीब महिलाओं एवं बच्चों की दी गयी सहायता ।
- अनुपचित जाति एवं जनजाति के लिए दी गयी सहायता ।

4) खाद्यान्नों के आधार पर दी गयी सन्धि

(A) खाद्य सन्धि : → जो खाद्य प्रबंधन के लिए दी जाए ।

* खाद्य प्रबंधन : →



1) खाद्य उत्पादन : → खाद्य प्रबंधन में सबसे प्रमुख क्रिया खाद्य उत्पादन मानी गयी है क्योंकि बिना उत्पादन के ना भण्डारण संभव है और ना ही वितरण ।

अतः सरकार खाद्य उत्पादकों को उत्पादन की बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की सहायता देती है । जैसे - खाद्य व बीज पर दी गयी सहायता

- सिंचाई - " -
- न्यूनतम निर्धारित मूल्य के रूप में सहायता

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) : भारत में MSP की शुरुआत 1966 में की गयी जिसके अन्तर्गत सरकार न्यूनतम मूल्य पर किसानों से खाद्यान्नों को खरीदती है ताकि किसानों की उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा बाजार में दाम गिरने पर भी खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम मूल्य की सुरक्षा दी जा सके।

NOTE : भारत में MSP की घोषणा खाद्यान्नों की बुवाई से पहले की जाती है।
(खरीफ - जून ; रबी - नवम्बर)

NOTE : MSP की घोषणा के लिए कोई मंत्रालय नहीं है। भारत में इसकी घोषणा 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (CACP) के द्वारा की जाती है।
(स्थापना - 1985)
↓
Commission for Agricultural Cost & Price

→ 1985 से पहले MSP की घोषणा कृषि मूल्य आयोग के द्वारा की जाती थी।

NOTE : MSP केवल खाद्यान्नों के लिए जारी किया जाता है। (कुल 21 खाद्यान्न फसलें)

[धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, चना, अरहर, मूंग, उड़द, तड़ (तूर), नाशियल, जूट, कपास, गन्ना, तम्बाकू, मोटे अनाज, कच्ची दाल, सरसों, सोयाबीन]

→ प्रमुख खाद्यान्न फसलों को 3 भागों में बाँटा गया है - अनाज
- दाल
- तिलहन

→ MSP के जैसे ही राज्य सरकार भी अपने राज्य के किसानों के लिए राज्य प्रशासित मूल्य की घोषणा करती है। इसी मूल्य को लेकर 2014 में U.P. में (SAP)

चीनी मिल के मालिकों एवं सरकार (U.P.) के मध्य विवाद बढ़ गया था।

(गन्ने के SAP को दुगुना कर दिया गया था।)

80
चीनी मिल के मालिकों की वित्तीय सहायता देने के लिए SEFASU योजना 2011 में शुरू की गयी।

↓
चीनी इकाईयों की वित्तीय सहायता योजना
[Scheme for extending financial assistance for Sugar Undertaking]

इस योजना में चीनी मिल के मालिकों को ₹600 करोड़ की वित्तीय सहायता सस्ते ऋण के रूप में प्रदान की गयी है।

ख़ाद्य भण्डारण एवं प्रसंस्करण :⇒ भारत में भण्डारण की समस्या एक गंभीर समस्या है क्योंकि भारत के भण्डारण में आधुनिकता का अभाव है जिसके चलते उत्पादन का बहुत अधिक भाग नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप मांग एवं पूर्ति में असंतुलन हो जाता है तथा मुद्रा स्थिति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

इस समस्या से निपटारे के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पारित किया गया तथा भारत सरकार को कृषि उत्पाद के भण्डारण, कीमत निगरान व उसे नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त हुई।

इसी सन्दर्भ में भण्डारण की सुविधा कम कीमत पर उपलब्ध करने हेतु केन्द्रीय गोदामीकरण संस्था की स्थापना की गई तथा राज्यों में राज्य गोदाम की स्थापना (1957) की गयी।

CWC एवं SWC के साथ खाद्यान्नों के वैज्ञानिक रीति से भण्डारण के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) की स्थापना वर्ष 1965 में की गयी। यह संस्था सरकार के द्वारा दीक्षित MSP पर किसानों से खाद्यान्नों को खरीदती है तथा लम्बे समय तक खाद्यान्नों की उपयोगी बनाने के लिए वैज्ञानिक रीति से भण्डारण का कार्य करती है।

Note भण्डारण एवं प्रसंस्करण की सुविधा को आधुनिक बनाने के लिए 2007 में WDRA (Warehousing development & Regulatory Authority) (गोदामिकीकरण विकास एवं नियामक संस्था) की स्थापना की गयी जो वर्तमान में निम्न तकनीकों के माध्यम से प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है -

81.

1. जैविक तकनीक :- खाद्यान्नों के लिए
2. नैनी तकनीक :- रसायन, रसायन एवं मसालों।

अ) खाद्य वितरण :- $\Rightarrow$ खाद्य वितरण के लिए भारत में 1960 के दशक में PDS को अपनाया गया। जिसमें सरकार के द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ वंचित वर्गों तक एक चैनल के माध्यम से लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया।

इस व्यवस्था में मौजूद मध्यस्थों में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ वंचित वर्ग तक नहीं पहुँच पा रहा था अतः 1977 में लक्ष्य आधारित PDS (TPDS) को अपनाया गया तथा उचित मूल्य की दुकानें स्थापित की गयी जो प्रत्यक्षतः वंचित वर्गों को कम कीमत पर अनिवार्य वस्तुएँ उपलब्ध करवाने के लिए खोली गयी।

इस व्यवस्था में वंचित वर्गों को दो वर्गों में बाँटा गया -

1. APL (गरीबी रेखा से ठीक ऊपर) :- ऐसे वर्गों को सामान्य आर्थिक कीमतों पर अनिवार्य वस्तुएँ उपलब्ध करायी जाती हैं।
2. BPL (-11- नीचे) :- APL से आधी कीमतों पर अनिवार्य वस्तुएँ उपलब्ध करायी जाती हैं।

Note:- वर्ष 2000 में इस प्रणाली में एक नया वर्ग जोड़ा गया।

$\rightarrow$ अन्त्योदय (गरीबों में गरीब) :- ऐसे वर्गों को सरकार 2.5 kg गेहूँ

तथा 3.5 kg चने चावल उपलब्ध कराती है।

NOTE:- अन्त्योदय योजना में APL वर्गों के लिए 25 kg खाद्यान्न प्रतिमाह प्रतिपरिवार तथा BPL वर्गों के लिए 35 kg खाद्यान्न प्रतिमाह

NOTE :- अन्तपोष्य योजना में अन्तपोष्य वर्ग की BPL में शामिल किया गया है।

→ भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार वंचित वर्ग (BPL एवं अन्तपोष्य) को 3 ₹/kg चावल, 2 ₹/kg गेहूं व 1 ₹/kg मोटा अनाज उपलब्ध कराती है।

राज्य में 20th 2013 को यह योजना नागौर जिले में शुरू की गयी।

✦ मिड-डे-मील योजना को मिला दिया गया।

→ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सरकार प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों को 450 cal भोजन एवं 12 gm प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराती है।
(उत्प्राथमिक के लिए 750 cal एवं 26 gm प्रोटीन युक्त भोजन)

★ व्यक्ति भारत में कर-प्रणाली ★

कर :- किसी नागरिक के द्वारा सरकार को दिया गया अनिवार्य भुगतान, जिसे भुगतान करने वाले व्यक्ति को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है। (चावला)

भारत के संविधान के अनुच्छेद-39 में संसदों के सबके हितों में उपयोग की बात कही गयी है तथा अनुच्छेद-46 समाज के कमजोर वर्ग के हितों के उपयोग के प्रबन्धन बताता है। ऐसा तभी सम्भव है जब कुछ लोगों से संसाधन वसूल किया जाए तथा उसे कमजोर वर्गों में बांटा जाए। इसी उद्देश्य के लिए भारतीय संविधान, सरकार को कर लगाने की गर्भित शक्ति प्रदान करती है।

कर-प्रणाली के प्रकार :->

- (1) प्रगतिशील कर-प्रणाली :-> जब आय बढ़ने के साथ-साथ कर की दर भी बढ़े।
(भारत में यही कर प्रणाली है।)
- (2) प्रगतिहीन कर-प्रणाली :-> vice versa of Above आय ↑ कर ↓
(प्रतिगामी)
-> भारत में इसी प्रणाली की मांग चल रही है।
- (3) आनुपातिक कर-प्रणाली :-> सभी के लिए कर की दर समान हो।
-> भारत में service-tax (सेवा कर) इसी कर प्रणाली का उदाहरण है।

भारत में करों के प्रकार :->

- (1) प्रत्यक्ष कर :- वह कर जो किसी व्यक्ति अथवा संस्था पर लगाया जाता हो तथा जो ^(व्यक्ति) पाठ सुविधाओं पर जिसे हस्तांतरित नहीं कर सकते हो। eg. आयकर, निगम कर, Prof. सम्पत्ति कर, उपहार कर
मात्र न्यूनतम वैकल्पिक कर
- (2) अप्रत्यक्ष कर :- वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाने वाला कर।
-> ऐसे कर को हस्तांतरित कर सकते हैं।

भारत के प्रमुख प्रत्यक्ष कर :-

1. आयकर (Income Tax) :-

↳ व्यक्तिगत आय अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार की आय पर लगने वाला कर, आयकर कहलाता है।

↳ भारत में इसकी शुरुआत 1860 में की गयी। वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आयकर लगाया जाता है। वर्तमान आय पर, भूतकालीन आय पर, भावी आय पर।

↳ आयकर अधिनियम में वर्तमान बजट में करदाता को निम्न तीन श्रेणियों में बांटा गया है -

- (i) 60 वर्ष तक की आयु के करदाता
- (ii) ~~> 60~~ परन्तु 60 से अधिक परन्तु 80 आयु से कम करदाता (वरिष्ठ नागरिक)
- (iii) 80 से अधिक (सुपर वरिष्ठ नागरिक)

→ 60 वर्ष तक की आयु (i) - करमुक्त आय, 2,50,000 ₹

(ii) 3,00,000

(iii) 3,00,000

→ आयकर अधिनियम की धारा 87B में दूट की सीमा 2000 से बढ़कर 5000 ₹ कर दी गयी (5 लाख रु तक वाले व्यक्ति को)

NOTE प्रत्यक्ष कर संहिता (ITC) के अंतर्गत सुपर वरिष्ठ नागरिकों की 5 लाख रु तक की आय को कर मुक्त रखने का प्रस्ताव (बजट में या, संशोधित पर लागू नहीं)

2. निगम कर :→ कम्पनी (घरेलू), अन्य पंजीकृत संस्थाओं की आय पर लगाने वाला कर, निगम कर कहलाता है।

→ वर्तमान में इस कर की दर 30% है।

NOTE DTC के प्रस्ताव के अनुसार निगम कर पर किसी भी प्रकार का उपकर (cess) अथवा अधिभार (surcharge) ना लगाया जाए।

NOTE ① उपकर (cess) :→ किसी विशेष प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा कर के साथ लिया गया कर।

→ यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों करों पर लगाया जा सकता है।

वर्तमान में -
① न्यायिक प्रत्यक्ष कर 0.5
② कृषि कल्याण कर 0.5

② अधिभार → चुकाए गये कर के ऊपर कर लगाना (surcharge)

→ यह कर केवल प्रत्यक्ष करों पर ही लगाया जा सकता है।

→ दोनों ही कर संघ सूची के विषय हैं। अतः इनसे प्राप्त आय की राज्यों के साथ नहीं बाँटा जाता है।

NOTE 1 June 2016 से 1% प्रतिशत की दर से कृषि कल्याण cess लगाया जा चुका है।

3. न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) minimum alternative Tax

→ यह कर घरेलू कम्पनियों की आय पर लगाया जाता है।

NOTE 2005 के बजट से विदेशी कम्पनियों की आय पर भी MAT लागू अनिवार्य कर दिया गया है।

वर्तमान में इस कर की दर = 18.5% (DTC के प्रस्तावों के अनुसार)
यह दर 17.5% रखी गयी थी।

NOTE 2006 से हर प्रकार की गतिविधि को कर के दायरे में शामिल करने हेतु न्यून चार प्रकार के कर तत्कालीन बिम्बनी P. चिदम्बम के द्वारा लागू किए गए -

(i) B.T.T. (Banking Transaction Tax) :- बैंकों के साथ किए गए
रोकड़ के व्यापार पर लगाया गया टैक्स (हटा दिया) बैंकिंग व्यवहार (व्यवधान)
को आसान देने के लिए

(ii) FBT (Frindge benefit tax) :- सुविधाओं पर लगाया गया कर
(2009 में समाप्त)
(2005 में लागू)

(iii) STT (प्रतिभूति के व्यवहार पर लगने वाला कर) (0.001%)

(iv) वापस बाजार में होने वाले व्यवहारों पर लगाया गया कर - CTT
ऐसी वस्तुएँ जिनके मूल्य काफी
उत्तर-चढ़ाव होता है। commodity

NOTE: वर्तमान में CTT एवं STT कर लगता है। अपति वापस नहीं लिया गया।

अप्रत्यक्ष कर :-

1. उत्पाद कर :- उत्पादन पर लगने वाला कर
(Excise Duty)

2. आयात शुल्क :- आयातित वस्तुओं पर लगने वाला कर
(Custom Duty)

3. सेवा कर :- सेवाओं पर लगने वाला कर

सेवा कर की जुड़ी महत्वपूर्ण बातें :- ① मूल संविधान में सेवा कर की व्यवस्था
नहीं की गयी है परन्तु 1994 में अनु. 248

का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा निम्न तीन सेवाओं पर सेवाशुल्क लगाया

- गया -
- (i) हवाई यात्रा
 - (ii) टेलि टेलीफोन
 - (iii) शोपर व्यापार की सुविधा

अनु. 248 के अन्तर्गत कोई भी गतिविधि लागू लावे समय तक नहीं चलायी जा सकती अतः सेवा कर को लेकर 88 वाँ संविधान संशोधन किया गया
अनु. 268 का प्रयोग करते हुए - 1999-2003

4. VAT (मूल्य संवर्द्धित कर) : → सर्वप्रथम 1918 में जर्मनी में F. सिमैल्स के द्वारा VAT की शुरुआत की गयी (VAT के जन्म)

परन्तु व्यवस्थाओं में कमी के कारण 1919 में इसे समाप्त कर दिया गया।
तत्पश्चात् 1954 में इसे सफलतापूर्वक फ्रांस में लागू किया गया तथा 1967 तक VAT पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हुआ।

→ भारत में माल के विक्रय पर लगाने वाले कर के दोहराव से बच्चे के लिए 1976 में L.K. Jha समिति का गठन किया गया जिनकी सिफारिशों के आधार पर भारत में सर्वप्रथम 1981 में उत्पादन आधारित VAT (Manufacturing VAT) (आर. वेन्टरमन) लगाया गया।

→ उत्पादन आधारित VAT को बदलकर 2005 से भारत में P. चिदम्बरम के द्वारा सम्पूर्ण भारत में VAT लागू करने की घोषणा की।

→ VAT के लिए सर्वप्रथम हरियाणा राज्य ने अपनी सहमति दी।
सबसे अन्त में U.P. द्वारा सहमति।

* GST (Goods & Service Tax) 18% वर्तमान

अधिक
कर
कराना
m.p

→ वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाने वाले कर को जिसमें कर की दर स्क्रमान होती है।

→ प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होता है इसलिए इसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए जबकि अप्रत्यक्ष कर प्रगतिहीन कर होता है अतः इसकी मात्रा कम होनी चाहिए।

इसी संदर्भ में 2005 में विलय कर के नेतृत्व में GST को लागू करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार ने 115वें संविधान संशोधन बिल के तहत जारी किया परन्तु संविधान संशोधन को लेकर तकनीकी एवं राजनैतिक समस्याओं के कारण यह बिल अभी तक लागू नहीं किया जा सका है।

NOTE GST को लेकर 115 वें संविधान संशोधन बिल में, प्रस्तावित दर = 22%.

परन्तु राज्यों के विवाद के कारण इस दर को कम करके 12% वें संशोधन बिल में 18% कर दिया गया। (इस पर भी आम सहमति नहीं है।)

NOTE भारत में मुद्रा-स्थिति के निगन्त्रण के लिए GST आवश्यक है क्योंकि भारत में उत्पादन की लागत कम है, परन्तु बाजार लागत अधिक।

* केंद्र तथा राज्य के बीच वित्तीय संबंध (अनुच्छेद 264-293) :-

→ वे कर जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं तथा वसूली व उपयोग राज्यों द्वारा किया जाता है।

→ इन करों में मुख्य कर हैं - स्टांप ड्यूटी, दवाओं पर लगने वाला शुल्क तथा प्रोसेसिंग चार्ज (प्रसंस्करण शुल्क)।

→ वे कर जो केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित किये जाते हैं तथा सम्पूर्ण शक्ति राज्यों को बांट दी जाती है।

eg. विज्ञापन कर, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्तियों पर लगने वाला कर

→ राज्य सरकार द्वारा आरोपित तथा राज्य सरकार को ^{ही} आवंटित कर

eg. टोल-टैक्स, एल्कोहल पर कर, मनोरंजन कर

* GAAR (General Anti Avoidance Rules) :-

→ भारत में आने वाले विदेशी निवेश पर कर लगाने हेतु भारत सरकार के द्वारा (वित्त मंत्रालय) वर्ष 2010 में सर्वप्रथम GAAR संबंधी नियमों की घोषणा की गयी। ये नियम आधुनिक विभाग के अधिकारियों को शक्ति देते हैं कि भारत सरकार के कर संबंधी द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन करने वाले विदेशी निवेशकों पर कर आरोपित कर सकती है।

2010 में इसकी घोषणा के पश्चात् विदेशी निवेश में काफी गिरावट आने लगी है इस समस्या से निपटने के लिए "पार्थसारथी समिति" (July 2012) समिति का गठन किया गया जिन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि वर्तमान परिस्थितियों में GAAR विदेशी निवेशकों के हितों में बाधा है अतः इसे 1 April 2016 से लागू

दिना ज्ञाप । (वर्तमान खण्ड में दो आसे वर्ष तक स्थगित कर दिया)

→

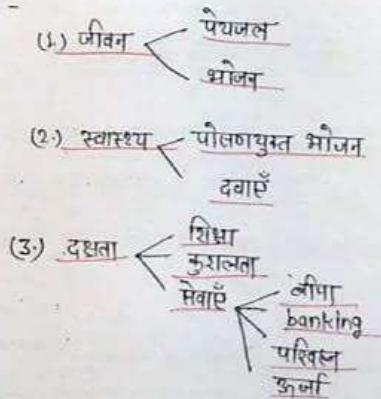
★ गरीबी एवं बेरोजगारी ★

* गरीबी : → गरीबी का तात्पर्य " सामान्यतः अभाव की स्थिति " से है (Poverty) अर्थात् अगर कोई व्यक्ति या समाज आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह समाज अथवा व्यक्ति गरीब कहलाता है।

→ UN के अनुसार - सामान्य जीवन जीने के लिए निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकताएँ होती हैं

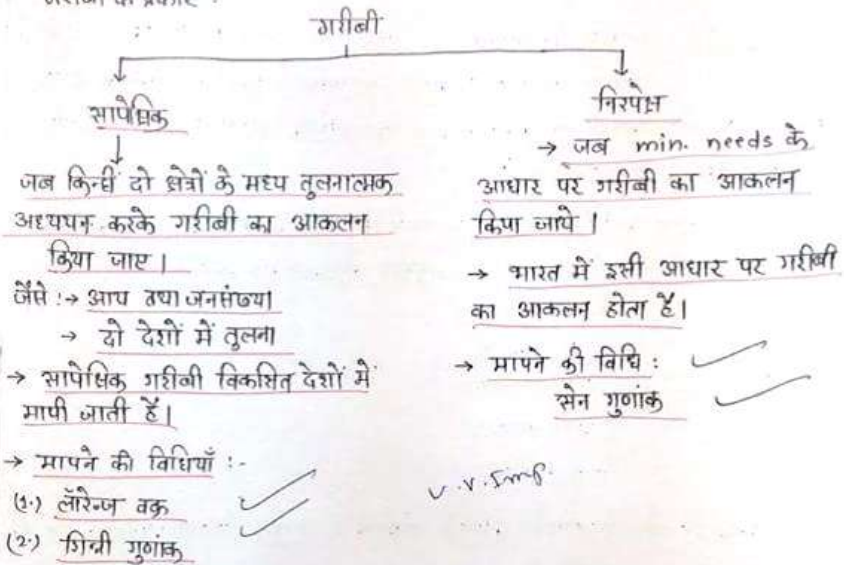
- (1) पोषण
- (2) भोजन
- (3) आवास
- (4) स्वास्थ्य
- (5) शिक्षा

→ भारत में योजना आयोग / नीति आयोग के अनुसार सामान्य जीवन की निम्न न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं -



NOTE भारत में गरीबी का आकलन योजना आयोग (भविष्य में नीति आयोग) के द्वारा किया जाता है तथा गरीबी के आँकड़े योजना आयोग को NSSO के द्वारा दिए जाते हैं।

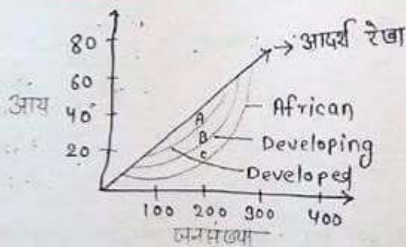
गरीबी के प्रकार :



* सापेक्षिक गरीबी को मापने की विधियाँ :

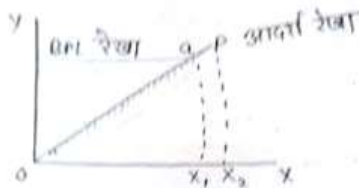
1. लॉरेन्ज वक्र : → मेक्स आ लॉरेन्ज, 1905

Note विश्व में गरीबी का आकलन UNDP व WDI द्वारा



→ लॉरेन्ज वक्र के अनुसार, जो वर्ग आदर्श रेखा से जितनी दूरी पर होता है वह वर्ग उतना ही अधिक गरीब होता है तथा जो वर्ग आदर्श रेखा के जितना करीब होता है वह वर्ग उतना ही कम गरीब होता है।

2. गिनी गुणांक :



$$G = \frac{\text{वास्तविक रेखा का क्षेत्रफल}}{\text{आदर्श रेखा का क्षेत्रफल}} \times 100$$

लॉरेन्ज वक्र का गणितीय रूप ही, गिनी गुणांक कहलाता है जिसका प्रतिपादन 1915 में इटली गणितज्ञ प्रोफेसर कोरेडो गिनी के द्वारा किया गया। इनके अनुसार G का मान गरीबी का मापक होता है।

जिस देश में G ↓ तो गरीबी ↓

एवं G ↑ तो आय की विसमता उतनी ही अधिक पायी जाती है।

→ भारत का गिनी गुणांक = 33.9% या 0.339

→ WB इसी आधार पर गरीबी का मूल्यांकन करता है।

* भारत में गरीबी का मापन : →

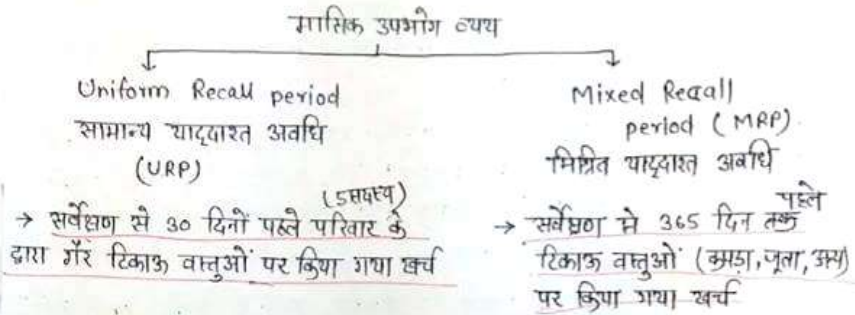
1. सेन गुणांक : → 1978 में प्रो. अमर्त्य सेन के द्वारा सेन गुणांक प्रतिपादित किया गया जिन्हे

अनुसार गरीबी रेखा से जो वर्ग जितना अधिक दूर होता है वह उतना ही अधिक गरीब माना जाता है (सैद्धांतिक नहीं)

→ भारत में अधिकृत रूप से गरीबी मापन के लिए सर्वप्रथम योजना आयोग के द्वारा 1971 में रथ व दांडेकर समिति का गठन किया गया जिन्होंने गरीबी को मापने के लिए कैलोरी को आधार माना।

इस समिति के अनुसार यदि ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम भोजन प्राप्त करता है तो वह गरीब है तथा यदि कोई शहरी व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम भोजन प्राप्त करता है तो वह गरीब है (भोजन आधारित गरीबी)

→ सुरेश तेंदुलकर समिति (2003) : → योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जिन्होंने केंद्रीय आवासीय शून्य को छोड़कर मासिक उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी को मापने का सुझाव दिया।



→ तेंदुलकर समिति के अनुसार यदि ग्रामीण क्षेत्र का कोई परिवार 1 माह में 4050 ₹ का व्यय कर रहा है तो वह परिवार गरीब नहीं है।

→ शहरी परिवार के लिए यह सीमा 4950 ₹ निर्धारित की गयी है।

→ इस समिति के अनुसार भारत में गरीबी 21.9% ✓

राजस्थान - 14.7% ✓

* सी. रंगराजन समिति : → तेंदुलकर समिति की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए May, 2012 में सी. रंगराजन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिन्होंने गरीबी के मापन का आधार बही रखा जो तेंदुलकर समिति ने रखा था परन्तु मासिक उपभोग की शक्ति में परिवर्तन किया गया।

रंगराजन समिति के अनुसार यदि ग्रामीण परिवार प्रतिमाह 4800 रूपए $(32 \times 5 \times 30)$ से कम का उपभोग करता है तो वह गरीब परिवार है तथा यदि कोई शहरी परिवार प्रतिमाह 7050 ₹ से $(47 \times 5 \times 30)$ से कम का उपभोग करता है तो वह परिवार गरीब कहलाएगा अतः रंगराजन

१५

समिति के अनुसार भारत में कुल 29.5% लोग गरीब हैं (ज्यादा ही बता दिये)
चूंकि संशोधन समिति के अनुसार गरीबी 29.5 तथा 75 के अनुसार गरीबी 21.9%। अतः योजना आयोग ने 75 के आधार पर ही गरीबी का मापन उचित समझा।

* गरीबी से जुड़ी अन्य imp. समितियाँ :

- (1) ए. लकड़वाल समिति : → इन्होंने केंद्र, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी का अलग-अलग मापन करने की सलाह दी। (1978)
- (2) हासिम समिति (2013) : → शहरों में BPL परिवारों का अलग से मापन
- (3) N.C. सक्सेना समिति (2010) → ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवारों का अलग से मापन।

* गरीबी से जुड़े आंकड़े : → (NSSO के 68 वें दौर के सर्वेक्षण के आधार पर)

- 1) सर्वाधिक गरीबी वाले राज्य : → छत्तीसगढ़ (39.93%)
→ दादर एवं नागर हवेली (39.31%)
→ झारखण्ड (36.93%)

- 2) न्यूनतम गरीबी वाले राज्य : → अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह (1%)
→ लक्षद्वीप (2.77%)
→ गोवा (5.77%)

3) सर्वाधिक ग्रामीण गरीबी → दादर एवं नागर हवेली (62.53%)

4) सर्वाधिक शहरी गरीबी → मणिपुर (32.59%)

5) सर्वाधिक गरीब जनसंख्या → U.P.

वैरोजगारी : → जब किसी व्यक्ति की योग्यता होने के बावजूद भी योग्यता के अनुरूप कार्य ना मिले तो ऐसी दशा वैरोजगारी कहलाती है। (योग्यता = काम करने की उच्छ)

→ सूत्र के आधार पर :-

$$\text{श्रम बल} - \text{कार्य बल} = \text{वैरोजगारी}$$

Note श्रम बल/शक्ति : जनसंख्या का वह भाग जो श्रम करने के योग्य हो।

(15-65 वर्ष तक की आयु का वर्ग)

कार्य बल : वे व्यक्ति जो किसी भी रूप में रोजगार से जुड़े हों।

$$\rightarrow \text{वैरोजगारी की दर} = \frac{\text{श्रम बल} - \text{कार्य बल}}{\text{श्रम शक्ति}} \times 100$$

(श्रम बल + कार्य बल)

NOTE WB के अनुसार भारत में वैरोजगारी की दर = 4.6%

अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार भारत - 11 - = 3.8%

✓ NSSO - 11 - = 3.4

वैरोजगारी के प्रकार :-

1) चक्रीय वैरोजगारी :-

जब अर्थव्यवस्था में मांग घटने से उत्पादन घट जाता हो व फलस्वरूप वैरोजगारी की संख्या में वृद्धि हो जाती हो।

यह विकसित देशों में ज्यादा पायी जाती है। साऊथ अफ्रीका में तेल प्रांशक्ति।

- 2] घर्षण-जनित बेरोजगारी : → जब रोजगार के पलायन के फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़े तो इसे घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। (भारत में कम) *निम्नरी / निम्नरी विस्थापन / काया मरणादिक, सरी*
- 3] संरचनात्मक बेरोजगारी / तकनीकी : → आधारभूत संरचनाओं में कमी के फलस्वरूप जब बेरोजगारी बढ़े। *[आवृत्ति / पिछड़े / रिमोट एरिया] कड़कना*
- 4] अदृश्य / प्रदूषण बेरोजगारी : → उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जिन्हें यदि उत्पादन से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता है तो ऐसे अतिरिक्त लोग अदृश्य बेरोजगार कहलाते हैं। *कृषि*
- 5] मौसमी बेरोजगारी : → मौसम के अनुसार कार्य का मिलना अथवा मिलना। *शुद्धि (मनोरंजन) / मौसमी इलाका*
- 6] अल्प बेरोजगारी : → जब लोगों को बहुत कम काम मिला हुआ हो।
- 7] शिक्षित बेरोजगारी : → किसी कार्य के लिए जो min. शैक्षिक योग्यता होती है उसके होने के बावजूद भी जब काम ना मिले *(B.E. & Engineering)*
- 8] खुली बेरोजगारी : → बिल्कुल भी काम का न मिलना। *(छादी में)*

NOTE:- पूर्ण रोजगार की स्थिति : $\Rightarrow$ 1 वर्ष में 273 दिन का काम मिलना तथा 1 दिन में 4 घण्टे का काम मिलना।

* भारत में बेरोजगारी के कारण : $\rightarrow$

1. धीमा आर्थिक विकास एवं तीव्र जनसंख्या वृद्धि
2. दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली
3. श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव
4. कुशल कार्यबल का अभाव
(ILO के अनुसार भारत में केवल 2% कुशल कार्यबल)
5. तकनीकी विकास का अभाव
6. कृषि का पिछड़ापन

* बेरोजगारी का मापन :

1. भगवती समिति (1973) का गठन किया गया।

जिन्हीं अपनी रिपोर्ट में बेरोजगारी के मापन की निम्न 3 विधियों (आधार) का उल्लेख किया -

(i) सामान्य स्तर की बेरोजगारी : $\rightarrow$ यदि किसी व्यक्ति को सम्पूर्ण वर्ष में एक भी दिन काम ना मिले।
(बेरोजगारी का निम्नतम मान)

(ii) चालू साप्ताहिक स्तर की बेरोजगारी : $\rightarrow$ यदि किसी व्यक्ति को पूरे 1 सप्ताह में 1 भी दिन काम ना मिले।
(बेरोजगारी का मध्यम मान)

103
(iii) चालू दैनिक स्तर की बेरोजगारी : → यदि किसी व्यक्ति 1 पूरे दिन में 1 घण्टा भी काम न मिले।

(बेरोजगारी का उच्चतम मान)

* बेरोजगारी को दूर करने हेतु हाल ही की सरकारी योजनाएँ : →

1.] (अप्रैल 2006) एकलव्य योजना : → सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को
उन्हीं के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध
कराने का लक्ष्य।

2.] चलौ गाँव की ओर : (Feb. 2006) : → अ राष्ट्रीय महिला आयोग
के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के
निःशुल्क कानूनी सहायता देने एवं उनकी जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य।

3.] दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (2014) : →
प. दीनदयाल उपा.

के 98 वें जन्मदिवस के उपलक्ष पर 15-35 वर्ष के ग्रामीण युवकों में कौशल
का विकास करते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
(25 Sept 2014)

4.] नई मंजिल योजना : → 2015-16 के बजट में घोषित
अल्पसंख्यकों को विकास से जोड़ना तथा उनका कौशल
विकास करके रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य।

NOTE : अल्पसंख्यकों के तकनीकी एवं आर्थिक विकास के लिए

MANAS (Molana Azad National Academy for skills
नामक संस्था मौलाना आजाद [प्रथम शिक्षा मंत्री] के 125 वें
जन्मदिवस (शिक्षा दिवस) पर 11 Nov. 2014 को शुरू स्थापित की गयी।

★ लोक वित्त ★

Public Finance

लोक वित्त : राज्य (सरकार) अपने दायित्वों को सार्वजनिक सत्ताओं (केंद्र एवं राज्य सरकार) के माध्यम से वित्तीय साधनों के द्वारा सम्पन्न करती है।

इन्हीं संस्थाओं (केंद्र व राज्य) के वित्त से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं एवं नीतियों के विधिवत अध्ययन को लोक वित्त कहा जाता है।

लोक वित्त को निम्न 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है -

1. सार्वजनिक आय : *Freely discussed. (Budget)*
2. सार्वजनिक व्यय :
3. सार्वजनिक ऋण : भारतीय सरकार की आय कम है तथा व्यय अधिक अतः ऋम घाटे को दूर करने के लिए तथा आधारभूत संस्थाओं का विकास करने के लिए सरकार घरेलू एवं विदेशी अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है।
घरेलू ऋण RBI एवं जनता से तथा विदेशी ऋण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिया जाता है ताकि सफल वित्तीय प्रशासन किया जा सके। ये समस्त ऋण सार्वजनिक ऋण कहलाते हैं।
4. वित्तीय प्रशासन : आर्थिक लेखा-जोखा → बजट
5. आर्थिक स्थिरता : देश में दीर्घकाल तक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति (बजट एवं करासेय) का निर्माण किया जाता है जिसका उद्देश्य आर्थिक नियंत्रण को सफल बनाते हुए जनता को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय प्रदान करना है।

★ बिज - आयोग ★

- * (1) स्थापना : संविधान के अनुच्छेद - 280 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वें वर्ष (इससे पहले भी किया जा सकता है।) बिज आयोग का गठन किया जाता है।

NOTE भारत में प्रथम बिज आयोग का गठन April 1951 में के.सी. नियोगी की किया गया।
अध्यक्षता में

* वर्तमान में 14 वाँ बिज आयोग Jan. 2013 में वाई.वी. रेड्डी (RBI के पूर्व गवर्नर) की अध्यक्षता में किया गया जिसने 24 Feb. 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(2) गठन का उद्देश्य :- बिज आयोग निम्न आर्थिक विषयों पर राष्ट्रपति को सलाह देने के उद्देश्य से गठित किया जाता है।

- 1] केन्द्र की आय (कर) का राज्यों के साथ बँटवारा।
- 2] संचित निधि से राज्यों को मिलने वाले अनुदान की राशि।
- 3] पंचायती राज व्यवस्था में राज्यों का हिस्सा।
- 4] अन्य विषय - (जो राष्ट्रपति के द्वारा पूछे जाए)

(i) जनौपयोगी सेवाओं के मूल्य निर्धारण संबंधी सलाह (पानी एवं बिजली की दर)

(ii) GST

(iii) राजकोषीय घाटे की समीक्षा करने हेतु

(iv) संकरकालीन प्रबंधन से जुड़ी सलाह।

(v) विनिवेश से संबंधित

आय व लेखागणना (vi) कोलावाम् बांध से जुड़ा मसला (14 वें बिज आयोग में जोड़ा गया)

के सलाह दिये

(viii) पर्यावरण एवं विश्वधायी विकास

★ 14 वे वित्त आयोग की वर्तमान स्थिति :

(1) अध्यक्ष : वाई. वी. रेड्डी

सदस्य {
 : प्रोफेसर अग्रणीत रेन - अंतराकालिक सदस्य
 : सुखमानाथ - पूर्व वित्त सचिव
 : डॉ. एम. गोविन्दो शर्मा, डॉ. सुदिते मुंडले, अर्जुन नारायण झा

14 वे वित्त आयोग की रिपोर्ट :

(1) कर के विभाजन को लेकर सिफारिश :

ऊपर से नीचे (समाप्त राज्यों को दिये गये कर की कुल राशि)

सिफारिश 42% पहले 32% था।

विशिष्ट राज्यों को दिये गये कर की राशि

* विशिष्ट राज्यों को दिये गए कर की राशि का बटवारा निम्न पाँच आधारों को ध्यान में रखते हुए दिया जाये -

1. आबादी 1971 - 2011 को आधार माना है।
2. राज्यों की कुल प्रति व्यक्ति आय
3. वन क्षेत्र
4. क्षेत्रफल
5. कृषि अनुशासन

→ 14 वे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सर्वाधिक लाभान्वित राज्यों

का क्रम :-

U.P. (1), बिहार (2), M.P. (3), प. बंगाल (4), महाराष्ट्र (5), राजस्थान (6)

→ 14 वे वित्त आयोग के अनुसार निम्नलिखित वशों में से राज्यों को हिस्सा दिया जाना चाहिए -

राज्यों के साथ बाँटे जाने वाले कर	ना बाँटे जाने वाले कर
(i) निगम कर	अनुच्छेद 268 → स्टाम्प ड्यूटी
(ii) आय कर	तथा Alcohol पर
(iii) उत्पाद शुल्क	उत्पाद कर
Wealth (iv) सीमा शुल्क	अनु. 268 A : सर्विस टैक्स (केवल J&K में ST Applied नहीं)
(v) सेवा कर	
(vi) प्रतिभूति व्यवहार कर (STT)	अनु. 269 - केन्द्रीय विक्रय कर
(vii) धन कर (हरा दिया)	अनु. 270 - cess अनु. 271 - Surcharge

→ केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली अनुदान की शक्ति में राज्यों का हिस्सा

- ग्राम पंचायतों के लिए - $\frac{16}{90} : \frac{ST}{10}$
- शहरी निकायों के लिए - $80 : 10$

→ आठ केन्द्र प्रयोजित योजनाओं में से केन्द्रीय सहयोग ना दिया जाये।

Share Market & Stock Exchange

प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था उस देश के वित्त बाजार पर निर्भर करती है जहाँ लोग अपने उद्देश्य के साथ वित्त का लेनदेन करते हैं। इस बाजार में निवेश सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा अपनी आवश्यकताओं के आधार पर इस बाजार के दो उपभागों को निर्धारित करते हैं

- [मुद्रा बाजार
- [पूंजी बाजार

मुद्रा बाजार :- वित्त बाजार का वह भाग जहाँ मौद्रिक प्रपत्रों का लेनदेन किया जाता है। मौद्रिक प्रपत्रों की निम्न विशेषताएँ होती हैं

- (i) न्यूनतम जोखिम
- (ii) अल्पकालीन निवेश
- (iii) न्यूनतम परन्तु निश्चित आय
- (iv) अत्यधिक तरलता

मौद्रिक प्रपत्रों के Ex. > T. Bill (Treasury bill) - न्यूनतम 30 दिनों के लिये जारी किये जाते हैं।
31 दिन, 182 दिन,
364/65 दिन

राष्ट्रीय वित्त प्रपत्र, किसान विकास पत्र

पूंजी बाजार वित्त बाजार का वह भाग जो मुद्रा बाजार नहीं होता है। इस बाजार में पूंजी के प्रपत्रों का लेनदेन होता है। ये प्रपत्र कम्पनियों (निगमों) द्वारा जारी किये जाते हैं।

यदि कोई कंपनी अपने जीवनकाल में पहली बार पूंजी के प्रपत्रों को जारी करती है तो ऐसा निम्न प्राथमिक बाजार का निर्माण करता है।

वह बाजार जहाँ प्राथमिक बाजार से खरीदे गए अंशों को बाजार मूल्य पर पुनः खरीदा अथवा बेचा जाता हो द्वितीयक बाजार कहलाता है जिसमें अंशों को खरीदने व बेचने की सुविधा स्टॉक एक्सचेंज नामक संस्था के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

NOTE भारत में पूंजी बाजार की नियामक संस्था - SEBI (Securities and exchange board of India)

SEBI :-

- 1) स्थापना :- वर्ष 1988 परन्तु वैधानिक शक्तियाँ SE SEBI अधिनियम 1992 के अन्तर्गत 12 अप्रैल 1992 को दी गयी।
- 2) संरचना :- एक चैयरमैन : ^{U.K.} दीपेन्द्र कुमार सिन्हा (4 सदस्य)
 - :- एक अधिकारी RBI से।
 - :- दो अधिकारी वाणिज्यिक एवं वित्त मंत्रालय से
 - :- पाँच अन्य अधिकारी (केन्द्र सरकार के द्वारा मनोनीत)

NOTE :- यदि केन्द्र सरकार उचित समझे तो SEBI के सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है।

3) प्रधान कार्यालय :- मुंबई

note :-
निवेशी के निवेशी सम्बन्धी

- 4) स्थापना के उद्देश्य :-
- 1) निवेशकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करना
 - 2) पूंजी बाजार के मध्यस्थों को पंजीकृत करना
 - 3) भारत में प्रतिभूति बाजार का विकास करना

NOTE SEBI की स्थापना से पूर्व "पूंजी निगमन का नियंत्रक (CCI)" (1947 में स्थापित) नामक संस्था पूंजी बाजार का नियंत्रण करती थी
Controller of Capital Issues

106
5] शक्तियाँ : →

- 1] निचम जारी करने की शक्ति
- 2] मध्यस्थों को पंजीकृत करने की शक्ति तथा निचमों के उल्लंघन की दशा में पंजीकृत प्रमाण पत्र को निरस्त अथवा निलम्बित करने की शक्ति ।
- 3] पूंजी बाजार के मध्यस्थों एवं सूचीबद्ध कम्पनियों से सूचना प्राप्त करने की शक्ति ।
- 4] निवेशकों के हितों में दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति ।
- 5] जॉँच एवं अन्वेषण की शक्ति ।
- 6] जुमाना लगाने की शक्ति । (कारावास देने की शक्ति नहीं)

NOTE : * SEBI के द्वारा सर्वाधिक जुमाना अंदरूनी व्यापार / भेदिचा की दशा में लगाया जाता है। कारोबार

जुमाने की राशि : कमाये गये लाभ का 3 गुना अथवा 25 करोड़ ₹ (जो दोनों में अधिक हो)

* SEBI के आदेश के विरुद्ध 45 दिनों के भीतर प्रतिभूति अपीलिय ट्रिब्यूनल (SAT) नामक अर्द्ध-न्यायिक संस्था के समक्ष अपील दाखर की जा सकती है।

→ SAT के आदेश के विरुद्ध 60 दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। (SAHARA VS. SEBI)

* यदि कोई पक्षकार या संस्था SEBI के आदेशों का उल्लंघन करती है तो SEBI भी ऐसे पक्षकार अथवा संस्था के विरुद्ध अपील दाखर कर सकती है।

स्टॉक - एक्सचेंज : $\Rightarrow$ द्वितीयक बाजार की प्रमुख संस्था जो सूचीबद्ध कंपनियों के अंशों के बाजार मूल्य को प्रदर्शित करती है।

- * Stock Ex. , SEBT के अधीन रहकर अपने यांचीकृत सदस्यों (दलाल) के माध्यम से अंशों के व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराती है।
- * भारत में वर्तमान में 19 स्टॉक एक्सचेंज हैं। (सभी केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त)
- इनमें से प्रमुख S.E. निम्न हैं -

1) Bombay Stock Exchange of India Ltd. (BSE) : $\Rightarrow$

- ↳ स्थापना : वर्ष 1875 (एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज)
- * इसके बाद एशिया में टोक्यो S.E. 1880
- * विश्व का सबसे पुराना S.E. - एक्सचेंज S.E. (1602)
- ↳ सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या (लगभग 5700)
(सूचीबद्ध कंपनियों के हिसाब से विश्व के प्रमुख 5 स्टॉक एक्सचेंज में शामिल,
(विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज - न्यूयॉर्क S.E. (America))
- ↳ BSE का सूचकांक :
SENSEX (BSE का संवेदी सूचकांक) कहलाता है।
(यह नाम दीपक मोहानी के द्वारा दिया गया)
- SENSEX : BSE में सूचीबद्ध प्रमुख 30 कंपनियों के अंशों के प्रदर्शित के आधार पर वर्ष 1986 में (आधार वर्ष 1978-79) BSE का सूचकांक जारी किया गया।
- * ये प्रमुख 30 कंपनियाँ 'ब्लू चिप' कंपनियाँ कहलाती हैं।

✶ BSE के अन्य सूचकांक :- $BSE-30 = SENSEX$

- 1] BSE-DOLLEX :- डॉलर के मूल्य के बारे में जानकारी देने वाले सूचकांक
- 2] BSE-BANKEX :- बैंकिंग कंपनियों के अंशों के मूल्य की जानकारी देने वाला सूचकांक
- 3] BSE-Small Cap :- BSE में सूचीबद्ध कम पूंजी वाली कंपनियों के बारे में जानकारी देने वाला सूचकांक
- 4] BSE-Middle Cap :- मध्यम पूंजी वाली कंपनियों के अंशों की जानकारी देने वाला सूचकांक
- 4] ~~BSE-Middle Cap~~ :-

2] National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) :-

1] फेरवानी समिति की सिफारिशों के आधार पर S.E. के व्यवहारों में पारदर्शिता लाने के लिये 1992 में प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के द्वारा NSE की स्थापना की गई।

2] कार्यालय : मुम्बई

3] देश का एकमात्र SE जो प्रतिभूति बाजार के समस्त क्षेत्रों में online व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।

Note: प्रतिभूति बाजार के क्षेत्र :-

- (i) Cash Segment (समता पूंजी के लिए)
- F&D (ii) Future Segment (भविष्य मूल्यों के लिए व्यवहार)
- C&D (iii) Currency Segment / विदेशी मुद्रा क्षेत्र

103
NSE का सूचकांक :- NIFTY (= 50 कम्पनी) के नाम से जाना जाता है

BSE : 30	::	NSE : 50
↓		↓
SENSEX		NIFTY

→ सूचीबद्ध कम्पनियों की संख्या : → लगभग 2600

शेयर बाजार से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द : ➔

(i) तेजड़िया व मंदड़िया बाजार : ➔ शेयर बाजार के भावी मूल्यों को लेकर जिस बाजार में तेजी की आशंका हो, अंशों को खरीदा जाता हो, तेजड़िया तथा जिस बाजार में मंदी की आशंका से अंशों को बेचा जाता हो, मंदड़िया बाजार कहलाती है।

(ii) हैंजिंग : ➔ निवेश की वह तकनीक जिसमें निवेशक अपनी सम्भावित हानि की सम्भावित लाभ से कम करता हो।

Note ऐसे निवेशकों का उद्देश्य, लाभ कमाना नहीं होता बल्कि न्यूनतम हानि को करना होता है।
से

(iii) Mutual fund : ➔ SEBI के द्वारा पंजीकृत किया गया कोष जो अपनी पूंजी (अंश) जनता की बेचकर पैसा प्राप्त करता है तथा प्राप्त पैसे को अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश करके प्राप्त लाभ को पूंजी धारकों में बाँट दिया जाता हो।

(iv) जोखिम पूंजी कोष (Venture capital fund) : सेबी के द्वारा पंजीकृत एक कोष जो अपनी पूंजी बेचकर प्राप्त रकम को नई एवं विकास की और अग्रसर कम्पनियों को दीर्घकालीन पूंजी के रूप में निवेशित करता है। ऐसी कम्पनियों द्वारा अग्र कम्पनियों के नाम से जाना जाती हैं।

(v) भागीदारी नोट (Participatory Note-) (P-Note)

⇒ विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी किये गये प्रपत्र जिन्हें खरीदकर विदेशी निवेशक आसानी से भारतीय पूंजी बाजार में अप्रत्यक्ष निवेश करने के योग्य हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने के कारण SEBI ने इनके निवेश की मात्रा को कम किया है।

(vi) वायदा बाजार आयोग (forward market commission) (FMC)

वायदा बाजार :- ऐसी वस्तुएँ जिनके बाजार मूल्य में निरन्तर उतार-चढ़ाव रहता है, पूंजी बाजार में commodity के नाम से जानी जाती हैं। कमोडिटी के श्रविष्य के मूल्य के आधार पर वर्गान में जिस बाजार में व्यापार किया जाता हो, वायदा बाजार कहलाता है। भारत में वायदा बाजार की नियामक संस्था FMC थी जिसका हाल ही में (Sept. 2015) सेबी में विलय कर दिया गया (SEBI के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि) इसकी स्थापना 1952 में की गई।

Commodity के वर्ग. → धातु-आधारित (लोहा, चाँदी, तंबा, Al etc.)

→ खाद्यान्न आधारित (गन्ना, चना, सरसों)

→ प्राकृतिक वस्तुओं पर आधारित (कच्चा तेल)

→ विदेशी मुद्रा etc.

★ भारत में औद्योगिक क्षेत्र ★

प्रत्येक अवस्था में औद्योगिक क्षेत्र विशेष महत्व रखता है क्योंकि औद्योगिक विकास से नये उत्पाद, तकनीक, सेवाएँ अवस्था में प्रवेश करती हैं। इसके साथ ही औद्योगिक विकास से देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया।

↓
प्रारम्भिक उत्पादों के द्वितीयक उत्पाद में बदलना ही। भारत में औद्योगिकीकरण के विकास के लिये सरकार ने समय-समय पर कई औद्योगिक नीतियाँ बनायी हैं जो निम्न हैं—

(1) औद्योगिक नीति 1948 :

1) प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 April

1948 की प्रथम उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गयी

2) इस औद्योगिक नीति में मिश्रित अवस्था को अपनाया गया।

3) उद्योगों को चार वर्गों में बाँटा गया -

प्रथम वर्ग → सैनिक एवं राष्ट्र महत्व के उद्योग

→ ९९. अन्न, अस्त्र-शस्त्र, रेल उद्योग etc.

द्वितीय वर्ग → इस वर्ग में प्रमुख 6 उद्योगों को आधारभूत संरचना के उद्योग के रूप में शामिल किया गया।

↓
लोह-इस्पात, कोयला, टेलिफोन, वायुयान निर्माण,
जहाजरानी निर्माण, खनिज तेल।

तृतीय वर्ग → निजी क्षेत्र के सहयोग से 18 उद्योगों को इस वर्ग में जोड़ा गया।
(Govt + Pvt)

चतुर्थ वर्ग → शेष उद्योग, जो 1956 में स्थापित करने के उद्देश्य रखे गये।

(2) औद्योगिक नीति 1956 : इस औद्योगिक नीति की घोषणा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में की गई। यह औद्योगिक नीति महालनोबिस-वेस्टर मॉडल पर आधारित है जिसमें सर्वप्रथम भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया तथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण की बात कही गई। इस नीति में उद्योगों को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया:-

1] आधारभूत के 14 उद्योग तथा इन उद्योगों में सरकारी नियंत्रण का प्रस्ताव रखा गया

2] इस श्रेणी में मुख्य 12 उद्योगों को रखा गया (सीमेंट, कागज, नमक, चीनी etc) जो राज्य

सरकारों के अधीन कार्यरत हों।

अ] तृतीय वर्ग : शेष उद्योग, जो निजी सहयोग से स्थापित किये जा सकें।

NOTE इस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है जो समाजवादी मॉडल पर आधारित है (USSR से अपनाया गया)

23 Dec.

(3) औद्योगिक नीति 1977 (मोगरजी देसाई) इस औद्योगिक नीति में सर्वप्रथम लघु एवं कृषि उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया तथा साथ ही 1 lakh तक की पूंजी वाले उद्योगों को सूक्ष्म उद्योग के रूप में पहचान दी गयी।

→ यह नीति गांधीवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थी (ग्रामीण उद्योगों पर अधिक जोर)

→ लघु उद्यमियों को एकल बिड़की योजना के अन्तर्गत आर्थिक, तकनीकी एवं कानूनी सहायता देने के उद्देश्य से जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गयी।

(4) औद्योगिक नीति (23 July 1980)

- इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इस औद्योगिक नीति की घोषणा की गई जिसमें सार्वजनिक उद्योगों के कुशल प्रबंधन पर जोर दिया गया।
- जिला उद्योग केंद्रों की क्रियान्वित रखा गया तथा मधु व कुटीर उद्योगों पर जोर दिया गया।

(5) औद्योगिक नीति (24 July 1991)

- शव - मनमोहन मॉडल पर आधारित है।
- L, P एवं M मॉडल से प्रभावित
- उच्च प्रौद्योगिकी एवं उच्च निवेश पर विशेष ध्यान दिया गया।
- 8 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों की स्थापना के लिये अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया। (इस संख्या को घटाकर 6 कर दिया गया)
- उच्च निवेश के लिये विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया।
- वे उद्योग जो लगातार हानि में चल रहे हैं के पुनरुत्थान के लिये वित्त प्रबंधन की व्यवस्था की गयी।
- पूँजी की तरलता को बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय स्तर के S.E. के माध्यम से शेयर बाजार के विकास पर अधिक जोर दिया गया।
- नए उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

stock exchange

★ 1991 के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिक पहल : ~

1] राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (नयी) 4 नव. 2011 :

→ औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से 2011 में नई विनिर्माण नीति बनायी गयी जिसमें देश की GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% तक रखने का लक्ष्य निर्धारित रखा गया।

→ रोजगार में 10% अतिरिक्त वृद्धि का लक्ष्य।

→ चिरस्थायी विकास की संकल्पना।

→ विनिर्माण क्षेत्र में निवेश तथा निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए पूरे देश में 8 'राष्ट्रीय निवेश व निर्माण क्षेत्र' (NIMZ) (औद्योगिक शहर) की स्थापना की गई।

NOTE: राजस्थान के 2 क्षेत्र NIMZ में शामिल हैं-

(1.) भिवाड़ी, नीमराणा

(2.) जोधपुर-पाली, माताडूँ क्षेत्र

2] मिनीरत्न, महारत्न एवं नवरत्न योजना :-

→ मिनीरत्न योजना : → वर्ष 1997 में शुरू

→ नवरत्न कंपनियों के अलावा लगातार मुनाफा कमा रहे उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना को शुरू किया गया।

इस श्रेणी में आने वाली औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय संचालन एवं प्रबंधन में सरकार के द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गयी।

→ इस योजना में उन औद्योगिक इकाईयों को शामिल किया जाता है जिनका लाभ वित्तीय वर्ष में 30 करोड़ या उससे अधिक हो।

→ वर्तमान में इनकी संख्या = 72

↳ नवरत्न योजना :

→ वर्ष 1997 में शुरू।

→ वे सार्वजनिक उपक्रम जिनमें ग्लोबल होने की संभावना हो, नवरत्न का दर्जा दिया जाता है।

→ नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए 100 अंकों के मापदण्ड में से ऐसी इकाईयों को न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने होते हैं, जो निम्न आधारों पर मूल्यांकित किये जाते हैं -

(i) सम्पत्ति (कुल संपत्तियों से 50% सम्पत्ति विपणन योग्य होनी आवश्यक)

(ii) पूंजी (iii) शुद्ध कीमत

(iv) प्रति अंश अर्जित आय (v) लाभ

NOTE: नवरत्न कंपनियाँ बिना सरकार की अनुमति के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश कर सकती हैं तथा साथ ही घरेलू बाजार की तरह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से पूंजी जुटा सकती हैं।

→ वर्तमान में संख्या = 17

↳ महारत्न योजना, 2009 → नवरत्न कंपनियों में से वे कंपनियाँ जो निम्न मापदण्डों को पूरा करती हो, को महारत्न का दर्जा दिया जाता है।

(i) पिछले 3 वर्षों तक लगातार सूचीबद्ध हो।

(ii) पिछले 3 वर्षों में औसत विक्रय - min. 20,000 करोड़

(iii) शुद्ध लाभ - 2500 करोड़

(iv) पिछले 3 वर्षों की शुद्ध कीमत - min. 15000 करोड़

(v) विदेश में कारोबार होना आवश्यक

NOTE वर्तमान में भारत में संख्या - 7

116.

1. BHEL → Bharat heavy electricals limited
2. SAIL → steel authority of india limited
3. GAIL → Gas — " —
4. Coal Ind. Ltd.
5. ONGC → Oil and Natural gas corporation → largest
6. NTPC → National thermal power corporation
7. IOC → Indian Oil Corporation

3. विशेष औद्योगिक गलियारे : तीव्र औद्योगिक विकास के लिये सरकार के द्वारा इनकी स्थापना की गयी ताकि विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जा सके तथा कम समय व लागत में औद्योगिक उत्पादन के आवागमन को सरल बनाया जा सके।

★ भारत के प्रमुख औद्योगिक गलियारे :-

1. दिल्ली - मुम्बई औद्योगिक गलियारा : > जापान के सहयोग से दिल्ली से मुम्बई तक आधारभूत ढाँचे को विकसित करने के लिये तथा निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से इस परियोजना को शुरू किया गया।

NOTE April, 2016 में राज. सरकार ने इस परियोजना में निवेश संबंधी अधिनियम पारित किया।

2. चेन्नई - बेंगलूर औद्योगिक गलियारा : > कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में 560 km तक फैला हुआ गलियारा। इसका निर्माण जापान के सहयोग से।

119

3.] कोलारु - मुम्बई गतिपारा :

→ Feb 2013 को U.K. के सहयोग से

इस परिघोजना को लागू किया गया।

4.] अमृतसर - दिल्ली - कोलकाता गतिपारा :

→ पंजाब, हरियाणा, U.P.,

उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड एवं 'प. बंगाल' में औद्योगिक विकास को

बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा 20 Jan. 2014 को

इस योजना को शुरू किया गया।

★ राष्ट्रीय निवेश कोष ★ {NIP}

- 6 Oct 2007 से इस कोष ने कार्य शुरू किया। (स्थापना 2005)
- सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश एवं लाभार्ज से प्राप्त होने वाले राजस्व के सुविधोजित उपयोग के लिए इस कोष की स्थापना की गई।
- इस कोष में जमा राशि संचित निधि में नहीं जाता है, अतः इसका उपयोग करना सरल है।
- इस कोष में जमा राशि का 75% भाग स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए किया जाता है तथा शेष 25% भाग सार्वजनिक इकाइयों में निवेश किया जाता है।
- इस कोष का प्रबंधन निम्न तीन कम्पनियों के द्वारा किया जाता है -

- (i) UTI (Unit Trust of India)
- (ii) SBI
- (iii) LIC

4.] कम्पनी अधिनियम 2013 में सामाजिक उत्तरदायित्व से सम्बन्धित नियम (CSR)

कम्पनियों के माध्यम से सामाजिक विकास को बढ़ावा देने तथा आर्थिक-सामा. वृद्धि में संतुलन बनाने के उद्देश्य में कम्पनी अधिनियम 2013 में कॉर्पोरेट क्षेत्र में जुड़ी संस्थाओं के लिए उनके सामाजिक उत्तरदायित्व की निर्धारित किया गया है।

ये नियम निम्न कम्पनियों पर लागू होते हैं -

- (i) प्रत्येक कम्पनी जिसका किसी वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ 5 करोड़ ₹ अथवा अधिक हो

अथवा

- (ii) जिसका पिछले 3 वर्षों का औसत विक्रय 500 करोड़ ₹ अथवा अधिक हो

(iii) जिसकी शुद्ध कीमत 100 करोड़ ₹ अधिक हो
अथवा

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा करने वाली कंपनी को अपने बिना 3 वर्षों के औसत लाभ का 2% सामान्य व्यय के कार्यों में निवेश करना अनिवार्य है, यदि संचालक निवेश नहीं कर पाते हैं तो लिखित रिपोर्ट में निवेश न करने सम्बन्धी कारण केन्द्रीय सरकार को बताकर आवश्यक अन्यथा दोषी संचालक पर 2 साल की जेल अथवा 25 लाख तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान।

स्टार्ट-अप इंडिया योजना : $\Rightarrow$ 6 जनवरी 2016 को SC एवं ST तथा महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने इस योजना को मंजूरी दी।

$\rightarrow$ इस योजना में लक्षित वर्ग के लिए सरकारी दरों पर 7 वर्ष की अवधि के लिये उद्यमिता ऋण देने का प्रावधान किया गया है।

$\rightarrow$ प्रति महिला उद्यमी को 10 लाख से 10 करोड़ ₹ तक के ऋण का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना में 10,000 करोड़ ₹ की राशि SIDBI (Small industrial development bank of India)

स्टार्ट-अप इंडिया : $\Rightarrow$ 16 जनवरी 2016 को नए उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई।

$\Rightarrow$ योजना में दिये जाने वाले ऋण के लिए स्टार्ट अप फंड की स्थापना की गयी है जिसमें 10,000 करोड़ ₹ का निवेश किया जाएगा।

स्ट्रेण्ड - अप इण्डिया

→ स्ट्रेण्ड - अप उद्योगों की प्रथम तीन वर्ष तक कई प्रकार की सहायताएँ देने का प्रावधान रखा गया है।

- (i) पेटेंट शुल्क में 80% तक की छूट।
- (ii) प्रथम 3 वर्षों में कर से मुक्ति।
- (iii) श्रम एवं पर्यावरण कानून में सरलता।

Group:

NOTE: नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ की प्रस्तावित योजना - अटल इनोवेशन मिशन (Current Update)

(5) भारत में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियाँ :-

1. तिवारी समिति 1981 : → औद्योगिक रूढ़ता को दूर करने के लिए
SICA (^{Sick} industrial companies Act) 1985 की शुरुआत
2. मीरा सेठ समिति 1991 : → हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए हस्तशिल्प व्रण कोष की स्थापना की गयी।
3. आबिद हुसैन समिति 1997 : → लघु उद्योगों की आरक्षण की समस्या में
4. बालकृष्ण ईराडी समिति 2000 : → नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की स्थापना की सिफारिश। (अभी तक स्थापित नहीं हो सका)
(रूपरेखा तैयार हुयी)

18.1.

5. सी. रेगलजन समिति :> चीनी उद्योग में सरकारी नियंत्रण की
(2012) समाप्ति।

6. N.R. नारायणमूर्ति समिति (2001) :- सूचीबद्ध कंपनियों के लिए
कॉर्पोरेट शासन संबंधी नियमों की व्यवस्था।

★ भारत में कृषि ★

* कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है जिसमें कृषि के साथ उसके सम्बन्ध क्षेत्रों (पशुपालन एवं बागवानी) भी शामिल हैं।

* कुल ग्राम शक्ति का 48.9% हिस्सा कृषि पर आश्रित है।

* कुल निर्यातों में 14% निर्यात कृषि से।

* GDP में कृषि का योगदान निरन्तर घट रहा है।

* 12 वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया (11 वीं में भी यही लक्ष्य था)
वास्तविक वृद्धि 3.6%।

* प्रमुख कृषि निर्यातक उत्पाद : → कॉफी, चाय, चावल (बासमती), तेल
कानू, गरम मसाले, कपास

* भारतीय कृषि और फसल : →

1. रबी फसल → अक्टूबर - नवम्बर में बुवाई, अप्रैल - मई में
कटाई

गेहूं, जौ, सरसों, मटर, राई

2. खरीफ फसल → जून - जुलाई में बुवाई, sept oct. कटाई

ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, कपास, लहसुन, मूंगफली, मूंग
व उड़द

3. जायद :- मार्च बुवाई, जून कटाई

:- सब्जियाँ प्रमुख, तरबूज, ककड़ी etc.

* फसलों का विशिष्ट वर्गीकरण :-

1. खाद्यान्न फसलें :- > भारत पोषण एवं भोजन के लिये उगाया

इन्हें निम्न 3 उपभागों में बाँटा जा सकता है -

1. प्रमुख खाद्यान्न (गेहूँ, धान, जौ)

2. मौटे अनाज (बाजरा, ज्वार)

3. लघु खाद्यान्न (चना, काकू, रागी)

2. व्यापारिक फसल :- > इनकी उठाने का उद्देश्य धन प्राप्त करना या तो इन्हें पूर्ण रूप से बेच दिया जाता है या आंशिक उपभोग करके अधिकांश हिस्सा बेच दिया जाता है।

→ इनमें तिलहन फसलें प्रमुख हैं। चाय, गन्ना etc.

* कृषि से जुड़ी पहल :- >

1. राष्ट्रीय बीज मिशन (NSM) :- 12 वीं पंचवर्षीय योजना में बीजों की तकनीक एवं किस्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बीज मिशन योजना शुरू की गई।

11 वीं पंचवर्षीय योजना में 1 अप्रैल 2007 को बाराकली राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित किया जो बीजों की किस्म की

अधेरागला के रूप में स्थापित है।

NOTE: यूरिख (Switzerland) में स्थित अन्तर्राष्ट्रिय बीज परीक्षण में भारत की इसी Lab. को सदस्य Lab के रूप में मान्यता दी गई है।

2. उत्कृष्ट नीति : यूरिया $\left\{ \begin{array}{l} \text{USA} \\ \text{China} \\ \text{India} \end{array} \right\}$ उत्पादन में 1st
खपत में 1st

यूरिया में निवेश की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से नयी निवेश नीति 2012 बनाई गयी जिसका प्रमुख उद्देश्य यूरिया की गुणवत्ता में सुधार करना तथा कम लागत पर किसानों को उच्च गुणवत्ता की यूरिया उपलब्ध करना है। (war की बालि शिखर वार्ता में विवाद का प्रमुख कारण)

3. कृषि शाखा : भारत में कृषि पर मिलने वाली शाखा के निम्न दो शाखा हैं -

1. गैर संस्थागत स्रोत (सौंठ, साहूकार, महाजन, very bad)
2. संस्थागत शाखा (Bank, सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार)

Note : किसानों को खेती के लिये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से शिवराम समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में 12 जुलाई 1982 को NABARD की स्थापना की गयी। (मुम्बई)

यह संस्था ग्रामीण विकास के लिये ग्रामीण लोगों को अपत्यस्र वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यमसे)

4. कृषि विपणन : फसलों को बाजार तक पहुंचाने की समस्त क्रियाएँ कृषि विपणन में शामिल होती हैं।

उस क्षेत्र में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिये स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक निम्न पहल की गई हैं -

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP
2. भारतीय खाद्य निगम (FCI) 1965
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) 1966
4. ट्राइकोई (भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद)
(Tribal Cooperative marketing development federation of india limited)

→ जनजाति लोगों को निजी व्यापारियों के शोषण से छुटकारा दिलाने हेतु इस संस्था की स्थापना अगस्त 1987 (कार्य प्रारंभ अग्रे 1988) में की गयी।

→ यह संस्था जनजातीय लोगों को शिक्षा, तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है उनका विकास करने में संलग्न है।

5. कृषि में आयात व निर्यात : →

1. शीर्ष निर्यात
2. शीर्ष आयात :- वनस्पति तेल, कच्चा कपास, फल, दूध, क्रिम, काजू etc.
3. कुल निर्यात :- 15%
- कुल आयात :- 6%

126
कृषि में निधियों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार के द्वारा कृषि निधि
स्रोतों (AFR) की स्थापना की गई। वर्तमान में भारत के 46 क्षेत्र
AFR नाम से निधियों के रूप में भूमिका निभाते हैं जिनमें निम्न
क्षेत्र प्रमुख हैं -

- (i) M.P. - मसाले
- (ii) उत्तराखण्ड व पंजाब - बासमती चावल (भारत, Pak व BAN में
अंतर को लेभविवाद)
- (iii) पश्चिमी बंगाल व तमिलनाडु - आम
- (iv) आन्ध्रप्रदेश - सब्जी
- (v) ओडिशा - अदरक एवं हल्दी
- (vi) महाराष्ट्र - प्याज
- Note राजस्थान प्रस्तावित - आंवला

6. निधि सन्निधि - किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार समय-समय
पर उर्वरक, बीज व सिंचाई पर सन्निधि प्रदान करती आ रही है
परन्तु 2013 के पश्चात् WTO के बढ़ते दबाव के कारण सन्निधि की
मात्रा निरन्तर कम की जा रही है।

कृषि में जुड़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाएँ:

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : 14 जनवरी 2016

:- किसानों की आय को 2012 तक (स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ तक) दोगुना करने के उद्देश्य से तथा 13.5 करोड़ किसानों को फसल बीमा के रूप में सुरक्षा कवच देने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया।

2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 5 दिस 2015

(विश्व मृदा दिवस) के उपलक्ष्य पर

प्रधानमंत्री मोदी जी के दश मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से तथा मिट्टी से जुड़ी आवश्यक सूचना उपलब्ध करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया।

इस योजना में 14 करोड़ मृदा कार्ड जारी किये जायेंगे।

नारा - "स्वास्थ्य धरा खेत धरा"

जगन्नाथ के प्रसन्न

3. नीरांचल स्मरण योजना 7 Oct 2015 को WB के सहयोग से

2142 करोड़ ₹ की लागत से भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्खिणगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखण्ड, M.P, राजस्थान एवं गुजरात में जल के अधिकतम उपयोग को बढ़ाने एवं सिंचाई का लाभ देने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया।

4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2 July 2015) को 5000 करोड़ की लागत से सिंचाई के साधनों में निवेश करके खेतों में पानी की दस्तता को बढ़ाना तथा पानी के अपव्यय को रोकने के लिये श्री मोदी के द्वारा इस योजना शुरू किया गया।

नारा - " हर खेत को पानी "